

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2018—आश्विन 13, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2018

क्र. ई. 13-36-2018-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जुलाई 2018 द्वारा श्री अशोक बर्णवाल, भाप्रसे (1991), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री तथा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के “Leadership and Strategic Thinking” Cambridge University UK में 10-14 September, 2018 तक आयोजित प्रशिक्षण पर प्रस्थान करने के अनुक्रम में श्री अशोक बर्णवाल, भाप्रसे (1991) की प्रशिक्षण अवधि में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का प्रभार श्री सुखवीर सिंह, भाप्रसे (1997), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड एवं पदेन सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास

एवं रोजगार विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-972-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष भार्गव, आयएएस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दतिया को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 अगस्त 2018 द्वारा दिनांक 27 अगस्त से 7 सितम्बर 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 26 अगस्त 2018 एवं दिनांक 8, 9 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 4 से 14 सितम्बर 2018 तक, ग्यारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश, दिनांक 2 एवं 3 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 20 अगस्त 2018 अनुसार यथावत्.

6385

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2018

क्र. ई. 5-565-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे (1987) तत्का. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अगस्त 2018 द्वारा दिनांक 27 जुलाई से 4 अगस्त 2018 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 28 जुलाई से 7 अगस्त 2018 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 18 जुलाई 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई. 5-846-आयएएस-लीव-5.—(1) श्रीमती रेनु तिवारी, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में दिनांक 1 से 5 अक्टूबर 2018 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 6 से 9 अक्टूबर 2018 तक, चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेनु तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रेनु तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेनु तिवारी अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2018

क्र. ई. 5-819-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे, आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अगस्त, 2018 द्वारा दिनांक 4 से 7 सितम्बर 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 2, 3 सितम्बर 2018 एवं 8, 9 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 6 से 7 सितम्बर 2018 तक, दो दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश, दिनांक 8 एवं 9 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश, दिनांक 29 अगस्त, 2018 अनुसार यथावत्।

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्र. ई. 1-235-2018-5-एक.—श्री दयाल दास अग्रवाल, भाप्रसे (2001), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री दयाल दास अग्रवाल द्वारा सचिव, राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अंतर्गत सचिव, राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई. 5-816-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजीव सिंह, आयएएस., संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन को दिनांक 16 से 21 सितम्बर 2018 तक अध्ययन दल के साथ जर्मनी प्रवास के अनुक्रम में दिनांक 22 से 24 सितम्बर 2018 तक, तीन दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2018

क्र. ई. 5-690-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा विकअ-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं प्रबंध संचालक, दी प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुम्बई को दिनांक 22 से 29 सितम्बर 2018 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 तथा 30 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, भाप्रसे की अवकाश अवधि में प्रबंध संचालक, दी प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुम्बई का प्रभार श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, भाप्रसे, आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिरुद्ध मुकर्जी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा विकअ-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं प्रबंध संचालक, दी प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुम्बई के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, भाप्रसे द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा विकअ-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं प्रबंध संचालक, दी प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुम्बई का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, भाप्रसे प्रबंध संचालक, दी प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुम्बई के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अनिरुद्ध मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिरुद्ध मुकर्जी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2018

क्र. ई. 5-893-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशुतोष अवस्थी, भाप्रसे., आयुक्त, जबलपुर संभाग को दिनांक 28 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 अक्टूबर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री आशुतोष अवस्थी की अवकाश अवधि में आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर का प्रभार श्री श्रीनिवास शर्मा भाप्रसे, अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष अवस्थी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जबलपुर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आशुतोष अवस्थी द्वारा आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री श्रीनिवास शर्मा, भाप्रसे उक्त के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आशुतोष अवस्थी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशुतोष अवस्थी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2018

क्र. ई. 1-203-2018-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अगस्त 2018 द्वारा श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे (1994), वि.क.अ.-सह-आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को नई दिल्ली में दिनांक 18 से 21 सितम्बर, 2018 एवं Estonia (यूरोप) में दिनांक 23 से 30 सितम्बर, 2018 तक आयोजित प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया गया है। अतः श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे (1994) की उक्त प्रशिक्षण अवधि में आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा का प्रभार डॉ. पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे (1994) वि. क्र. अ-सह-आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-1020-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री अदिती गर्ग, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देपालपुर, जिला इन्दौर को दिनांक 10 से 14 सितम्बर 2018 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 सितम्बर 2018 एवं दिनांक 15, 16 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री अदिती गर्ग, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देपालपुर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री अदिती गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री अदिती गर्ग, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2018

क्र. ई. 5-683-आयएएस-लीव-5-एक.—श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, विकअ-सह-आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 अगस्त 2018 द्वारा दिनांक 29 अगस्त से 1 सितम्बर 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2018

क्र. एफ 1(बी) 35-2017-बी-4-दो. — राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2015 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- में उपपुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/ स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	02	श्री शशांक जैन, 108, नया मोहल्ला, कन्या हाईस्कूल के सामने, बण्डा, जिला सागर, म. प्र. 470335.	देवास

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्त के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) इन परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षकों द्वारा प्रथम चरण का बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपसंत द्वितीय चरण के जिले का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी इन्हीं जिलों में पूर्ण किया जायेगा.

(4) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(5) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन

के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(6) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(7) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(8) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवाएँ बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(9) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(10) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(11) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उपपुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

(13) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2018

विधि और विधायी कार्य विभाग

क्र. एफ-(ए) 199-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अगस्त 2018 को निरस्त करते हुए, श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 28 अगस्त से 4 सितम्बर 2018 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2018

फा. क्र. 17-(ई)-83-03-इक्कीस-ब-(एक)-4359-018.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-2003-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 41 तथा 99 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
“41	हरदा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हरदा	सिविल जिला हरदा का विद्युत् क्षेत्र
99.	शिवपुरी	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, करेरा	करेरा का विद्युत् क्षेत्र.”

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(one)4359-18.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1),

dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September, 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial numbers 41 and 99 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
“41.	Harda	II nd Additional Sessions Judge, Harda.	Electricity area of Civil District, Harda.
99.	Shivpuri	II nd Additional Sessions Judge, Karera.	Electricity area of Karera.”

फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब (एक)-4359-2018.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 41 एवं 99 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

स. क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
“41.	हरदा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हरदा	श्री अरूण श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हरदा.
99.	शिवपुरी	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, करेरा.	श्री अतुल सक्सेना, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, करेरा शिवपुरी.”

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(one)-4359-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September, 2010, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 41 and 99 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
“41.	Harda	II nd Additional Sessions Judge, Harda.	Shri Aurn Shrivastava, II nd Additional Sessions Judge, Harda.
99.	Shivpuri	II nd Additional Sessions Judge, Karera.	Shri Atul Saxena,, II nd Additional Sessions Judge, Karera, Shivpuri.”

फा. क्र. 4048-इक्कीस-ब (दो).—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 6 की उपधारा (5) तथा (6), धारा 8क की उपधारा (5) तथा (6), धारा 9 की उपधारा (5) तथा (6) एवं 11क की उपधारा (3) तथा (4) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 7 में, उप-नियम (1) में, सारणी में, कॉलम (1) में,—

1. अनुक्रमांक 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	पद का नाम (2)	भर्ती का तरीका (3)
“4-ए.	सहायक ग्रेड-एक	सहायक ग्रेड-दो, सहायक प्रोटोकाल आफिसर के बीच से वरिष्ठता सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा.”

2. अनुक्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक (1)	पद का नाम (2)	भर्ती का तरीका (3)
“7.	अधीक्षक	सहायक अंकेक्षक, स्टनोग्राफर, निज सहायक एवं सहायक ग्रेड-1 के बीच से पदोन्नति द्वारा.”

F. No. 4048-XXI-B(II).—In exercise of the powers conferred by Section 28 read with sub-section (5) and (6) of Section 6, sub-section (5) and (6) of section 8A, sub-section (5) and (6) of Section 9 and sub-section (3) and (4) of section 11A the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987), the State Government in consultation with the Chief Justice of the High court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh State Legal Services Authorities Officers and Employees (recruitment and Conditions of Service) Rules, 2009, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, in rule 7, in sub-rule (1), in the table, in column (1),—

1. after serial number 4, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Name of the Post (2)	Method of Recruitment (3)
“4-A.	Assistant Grade-I	By promotion from amongst Assistant Grade-II Assistant Protocol Officers on the basis of seniority- cum-merit.”

2. for serial number 7 and entries relating thereto, following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No. (1)	Name of the Post (2)	Method of of Recruitment (3)
"7.	Superintendent	By promotion from amongst Assistant auditor, Sfenographer, Personal Assistant and Assistant Grade- 1 .".

फा. क्र. 4386-2018-इक्कीस-ब(एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीशों को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवाशर्तें) नियम, 2017 के नियम-5(1)(बी) के अन्तर्गत नियम 11(3) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070, के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है:—

1. Abhishek Gour
2. Manish Sharma
3. Rashmina Chaturvedi
4. Syeda Vineeta
5. Manish Singh Thakur
6. Hemant Kumar Raghuvanshi
7. Ravi Prakash Jain
8. Pradeep Kumar Dubey
9. Neelam Shukla
10. Dhanendra Singh Parmar
11. Vandan Mehta

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2018

फा. क्र. 1(सी)4086, 3249-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला धार के लिए उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत, श्री शिवशंकर श्रीवास्तव, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी./1073/01, दिनांक 8 जुलाई 2001) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. श्री शिवशंकर श्रीवास्तव, अधिवक्ता उक्त विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 20 जून 1971 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

श्री शिवशंकर श्रीवास्तव, अधिवक्ता, धार को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिए देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी/21-ब(दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2018

फा. क्र. 1(सी)4087, 3729-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला श्योपुर के लिए उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत, श्री राजेन्द्र जाधव, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी./2772/03, दिनांक 28 सितम्बर 2003) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। श्री राजेन्द्र जाधव, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 16 अगस्त 1972 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री राजेन्द्र जाधव, अधिवक्ता, श्योपुर को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिए देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी/21-ब(दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

फा. क्र. 1(सी)4095, 1036-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला राजगढ़ के लिए उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत, श्री प्रेमनारायण मालाकार, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी./643/1998, दिनांक 16 अप्रैल 1998) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। श्री प्रेमनारायण मालाकार, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 24 अगस्त 1972 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री प्रेमनारायण मालाकार, अधिवक्ता, राजगढ़ को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिए देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी/21-ब(दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2018

फा. क्र. 1(सी)4146-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला झाबुआ के लिए उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत, श्री शशिकांत जोशी, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी./643/1998, दिनांक 16 अप्रैल 1998) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। श्री शशिकांत जोशी, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 24 अगस्त 1972 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री शशिकांत जोशी, अधिवक्ता, झाबुआ को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिए देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी/21-ब(दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2018

क्र. 1331-1445-2018-बीस-3.—मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 13 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18 से कक्षा 9 व 11 तथा सत्र 2018-19 से कक्षा 10 व 12 की निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकों विहित करती है, अर्थात्:—

अनुक्रमांक (1)	कक्षा (2)	विषय (3)	पुस्तक का शीर्षक (4)	माध्यम (5)	प्रकाशक (6)
1	9	गणित	गणित	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल (समस्त पाठ्यपुस्तकों के लिए).
2	9	विज्ञान	विज्ञान	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
3	10	गणित	गणित	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
4	10	विज्ञान	विज्ञान	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
5	11	गणित	गणित	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
6	11	जीव विज्ञान	जीव विज्ञान	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
7	11	भौतिक शास्त्र	भौतिक शास्त्र भाग-1	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
8	11	भौतिक शास्त्र	भौतिक शास्त्र भाग-2	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
9	11	रसायन शास्त्र	रसायन शास्त्र भाग-1	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
10	11	रसायन शास्त्र	रसायन शास्त्र भाग-2	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
11	11	लेखाशास्त्र	लेखाशास्त्र भाग-1	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
12	11	लेखाशास्त्र	लेखाशास्त्र भाग-2	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
13	11	व्यवसाय अध्ययन	व्यवसाय अध्ययन	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
14	11	अर्थशास्त्र	भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास.	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
15	11	अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र में सांख्यिकी	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
16	12	गणित	गणित भाग-1	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
17	12	गणित	गणित भाग-2	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
18	12	जीव विज्ञान	जीव विज्ञान	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
19	12	भौतिक शास्त्र	भौतिक शास्त्र भाग-1	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
20	12	भौतिक शास्त्र	भौतिक शास्त्र भाग-2	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
21	12	रसायन शास्त्र	रसायन शास्त्र भाग-1	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
22	12	रसायन शास्त्र	रसायन शास्त्र भाग-2	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
23	12	लेखा शास्त्र	लेखा शास्त्र भाग-1 अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते.	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
24	12	लेखा शास्त्र	लेखा शास्त्र भाग-2 कंपनी खाते एवं वित्तीय विवरण का विश्लेषण.	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
25	12	व्यवसाय अध्ययन	व्यवसाय अध्ययन भाग-1	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
26	12	व्यवसाय अध्ययन	व्यवसाय अध्ययन भाग-2	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
27	12	अर्थशास्त्र	व्यस्टि अर्थशास्त्र एक परिचय.	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	
28	12	अर्थशास्त्र	समस्टि अर्थशास्त्र एक परिचय.	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2018

क्र. एफ-3-121-2018-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 (क) (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-25-1999-32, दिनांक 20 मार्च 1999 द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 75 की उपधारा (1) सहपठित मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा 7 क द्वारा जिला योजना समिति को प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संशोधन, 1996) की धारा 17-क(1) के अन्तर्गत नरसिंहगढ़ विकास योजना हेतु गठित समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(2) सहपठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 12 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:—

अधिनियम की धारा 17-क(1)	व्यक्ति का नाम/पद	संस्था/पता	समिति में पद
(1)	(2)	(3)	(4)
खण्ड			
क	अध्यक्ष	नगरपालिका, नरसिंहगढ़	सदस्य
ख	अध्यक्ष	जिला पंचायत, राजगढ़	सदस्य
ग	सांसद	राजगढ़ संसदीय क्षेत्र	सदस्य
घ	विधायक	विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़	सदस्य
ङ	अध्यक्ष	नगर तथा ग्राम निवेश विकास प्राधिकारी	कोई नहीं
च	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, नरसिंहगढ़	सदस्य
झ	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, मानुपुरादेव (ग्राम वारीगादिया)	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, कडियाचन्द्रावत (ग्राम नरसिंहपुरा एवं सागपुर),	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, चैनपुराकला (ग्राम वारीधामधौर).	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत, विजयगढ़ (ग्राम महारीपुरा व इलाहीपुरा)	सदस्य
ज	1. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर इंडिया का प्रतिनिधि	
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट इण्डिया का प्रतिनिधि	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया का प्रतिनिधि	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	कलेक्टर जिला राजगढ़	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, नरसिंहगढ़	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नरसिंहगढ़	सदस्य
झ	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल, सीहोर, रायसेन मध्यप्रदेश.	संयोजक

सूचना

क्रमांक एफ 3-36/17/18-5 :- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 4452/वि.यो./न.ग्रा.नि./2017 भोपाल दिनांक 12.09.2017 द्वारा प्रकाशित खजुराहो विकास योजना 2011 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार खजुराहो निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2011 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् -

1. आयुक्त, सागर संभाग सागर मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर कार्यालय जिला छतरपुर मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद खजुराहो मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद राजनगर मध्यप्रदेश
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण खजुराहो मध्यप्रदेश
6. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय छतरपुर मध्यप्रदेश

अनुसूची

1. खजुराहो विकास योजना 2011 की निम्नानुसार कंडिकाओं में उल्लेखित उपांतरण मान्य किये जाते हैं :-

4.3 स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

सारणी -4-सा-1

1. आवासीय

ग्रामीण :- औषधालय, कार्यालय, बारातघर, विद्युत उप केन्द्र पम्प हाउस, पानी की टंकी, रैन बसेरा, धर्मशाला कांजी हाउस, ईंधन भराव केन्द्र.

शहरीय :- छात्रावास, कार्यालय, उपासना स्थल, औषधालय वृद्धाश्रम, कुटीर उद्योग, हल्के वाहन मरम्मत दुकानें, बारात घर, विद्युत उप केन्द्र, जल प्रदाय सुविधा, रैन बसेरा, धर्मशाला, यातायात सुविधा केन्द्र, वाहन स्थल, संचार सुविधा केन्द्र, युवा सदन, क्लब, ईंधन भराव केन्द्र, मैरेज गार्डन, शॉपिंग मॉल।

2.. वाणिज्यिक :- स्वीकृत उपयोग

फुटकर दुकानें, व्यापारिक एवं ब्यवसायिक कार्यालय, सुविधा एवं सेवा दुकान एवं मरम्मत दुकानें, स्वल्पाहार, भोजनालय, धर्मशाला, कुटीर उद्योग (म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 अनुसार) संचार एवं यातायात सुविधायें, सार्वजनिक कार्यालय, उद्यान, सामुदायिक केन्द्र, बारात घर, मंडी, गोदाम, शीत गृह, थोक एवं फुटकर दुकानें, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक कार्यालय, सुविधा एवं सेवा दुकान, जलाउ लकड़ी एवं कोयला गोदाम, तेलधानी, वर्कशाप एवं मरम्मत दुकानें, स्वल्पाहार, भोजनालय, धर्मशाला, उद्योग (म.प्र.भूमि विकास नियम 2012 अनुसार) वाहन स्थानक, संचार एवं यातायात सुविधा केन्द्र, कार्यालय, उद्यान, सामाजिक केन्द्र, औषद्यालय, मैरेज गार्डन, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स।

3.. सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक :- स्वीकार्य उपयोग

3.1 उपासना स्थल, अति आवश्यक दुकानें, ईंधन भराव केन्द्र, मैरेज गार्डन।

3.2 शैक्षणिक

अल्प बचत हेतु बैंक, पोस्ट आफिस, विस्तार योजना केन्द्र, आश्रम, अत्यावश्यक आवास केन्द्र, ईंधन भराव केन्द्र

3.3 प्रशिक्षण संस्था, अनुसंधान केन्द्र, अनाथालय, स्वल्पहार एवं भोजनालय ईंधन भराव केन्द्र

4. औद्योगिक :- स्वीकार्य उपयोग

4.2 कृषि आधारित उद्योग ऐसे सभी कुटीर एवं लघु उद्योग जिसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण न होता हो, प्रिंटिंग प्रेस, ईंधन भराव केन्द्र

6. यातायात उपयोग:-

व्यापारिक शोरूम, होटल, मोटल, धर्मशाला, उपासना केन्द्र, मदिरालय, क्लब, ईंधन भराव केन्द्र।

7. आमोद प्रमोद :- स्वीकार्य उपयोग

7.2 जल तटीय आमोद प्रमोद

सेवा दुकानें, होटल, मोटल, अतिथि गृह, हाली डे होम्स, आध्यात्मिक एवं योगा केन्द्र, अनुसंधान केन्द्र, ईंधन भराव केन्द्र

8. हरित क्षेत्र :- स्वीकार्य उपयोग

8.1 संरक्षणीय :-

(अ) संवेदनशील क्षेत्र

स्वल्पाहार / अल्पाहार गृह, सार्वजनिक सुविधायें एवं उपयोगी सेवायें

(ब) कृषि एवं फल उद्यान, पुष्प, कृषि

8.2 सामान्य :- स्वीकार्य उपयोग

अ) कृषि

ईट भट्टा, मुर्गी पालन, डेयरी, पशुपालन, खदान, गोदाम, वन आवास, ईंधन भराव केन्द्र, बारात घर, फार्म हाउस, मैरेज गार्डन, मल्टीप्लेक्स।

(ब) नगर वन, उप वन

स्वल्पाहार/अल्पाहारगृह, चिडियाघर, र्पटक/कुटीर/रेशम केन्द्र, मत्स्यपालन केन्द्र इत्यादि

4.4 विकास कार्य एवं भवन निर्माण के प्रावधान :-

वे प्रावधान जो इस अध्याय में सम्मिलित नहीं हैं, उनको भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों तथा कालांतर में होने वाले संशोधनों सहित प्रावधानों के अनुसार माना जावेगा।

4.4 (द) छविगृह:-

छविगृहों के मापदण्ड :-

छविगृहों के मापदण्ड मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम 53 (3)(दो) के अनुरूप होंगे।

4.4 (फ) सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक:-

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक के मापदण्ड मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम 49 (1) में सारणी 6 के अनुरूप होंगे।

4.5 भूमि के विकास तथा उसके उपयोग पर नियंत्रण:-

विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 16 के प्रावधानानुसार दस्तावेज/जानकारी संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

4.5 भूमि के विकास तथा उसके उपयोग पर नियंत्रण:-

(9) का (अ)

संघ सरकार, राज्य सरकार, किसी प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन गठित किए गए किसी विशेष प्राधिकारी से भिन्न व्यक्ति भूमि विकास हेतु अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये नियमों की धारा 29 की उपधारा (1) में दिये गए नियम 14 परिशिष्टि क(1) पर अनुज्ञा हेतु आवेदन करेगा और जिसके साथ ऐसे दस्तावेज भेजे जावेगें जैसा कि विहित किया गया है।

4.5 भूमि के विकास तथा उसके उपयोग पर नियंत्रण:-

(9)(क)

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन, नियम 21 (2) एवं (3) में उल्लेखित जानकारी सहित प्रस्तुत करना होगा।

अनुज्ञा प्रपत्र:-

भूमि विकास की अनुज्ञा धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27 की परिशिष्ट (घ) में संबंधित व्यक्ति को प्रेषित की जावेगी तथा उसकी प्रतियां संबंधित नगर निगम, नगर पालिका, नगर तथा ग्राम विकास अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास अप्राधिकारी तथा संबंधित अधिकारियों को मय स्वीकृत मानचित्र के भेजी जावेगी। मानचित्र संचालक द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया जावेगा। यदि कोई परिवर्तन हो तो वह लाला पंक्तियों से दर्शाया जावेगा तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति आवेदक को भेजी जावेगी। यदि अधिक परिवर्तन हो तो एक नया मानचित्र परिवर्तन को दर्शाते हुए संचालक द्वारा मांगा जावेगा।

- टीप:- 1. खजुराहो विकास योजना में सम्पूर्ण संवेदनशील क्षेत्र एवं विशेष संवेदनशील क्षेत्र में भवनों की उचाई 7 मीटर से अधिक नहीं होगी। विशेष क्षेत्र में केवल राज नगर में बहुमंजिला विकास की अनुमति होगी।
2. अन्य समस्त प्रावधान भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार मान्य होंगे।

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/कंडिक I क्रमांक	सारणी/कंडिका /कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	खजुराहो विकास योजना 2011	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	6	सारणी 6-सा-11	4	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	सारणी 6-सा-11	08	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा***, एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।

व्याख्या

- i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि म0प्र0 शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।
- ii ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि म0प्र0 प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
- iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) में वर्णित अनुसार।

टीप :- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2018

क्र. 2405-1106-2018-अठारह-5.—वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 758-1018-2018-नियम-चार, दिनांक 27 अप्रैल 2018 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2018 में प्रकाशित मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, 2018 जिसके द्वारा निगम/मंडल के सेवानियुक्तों की अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है, के परिपालन में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों की अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की जाती है.

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2018 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैलाश बुन्देला, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2018

क्रमांक-एफ-25-85/2017/10-3 : भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा यह घोषित करता है कि :-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो लगभग N-22° 02' 52" से N-22° 03' 12" उत्तर अक्षांश तथा E-74° 29' 40" से E-74° 30' 34" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, जो आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वानी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

अनुसूची

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	जिला तहसील	बड़वानी		बड़वानी		वनमण्डल		राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
			पटवारी हल्का क्र.	ग्राम/ वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना	खसरा क्रमांक नया	क्षेत्रफल हेक्टर	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद्द		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बिजासन	1	बिजासन/बिजासन सरक्षित वन खण्ड कक्ष क्र.-पी.-346	-	2/1 9/1 16/1/2	16.650 10.000 19.376	पहाड़ चरनोई चरनोई	डी-1206-1653- दस-3-2004/ दिनांक 3-6-2004	11-6-2004	उत्तर-मुनारा क. 1 से 13 तक, नर्मदा नदी एवं खसरा क्र.-90/3, 90/2, 90/1, 99, 13/1, 14, 15 एवं 16 की सीमा. पूर्व-मुनारा क. 13 से 14 तक रास्ता. दक्षिण- मुनारा क. 14 से 23 तक खसरा क. 157, रास्ता एवं 9/1 का शेष भाग एवं 2/2, 6/1 एवं 5 की सीमा। पश्चिम-मुनारा क.-23 एवं 1 ग्राम मोरकड़ा की सीमा।
							46.026			

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2018

क्र. एफ-25-86-2017-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-25-86-2017-दस-3, दिनांक 27 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal the 27th September 2018

No.-F-25-86/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby: -

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block Line between **N-22° 02' 52" TO N-22° 03' 12"** North Latitude and **E-74° 29' 40" TO E-74° 30' 34"** East Longitude specified in the.

(B) Appoints Sub-Divisional Officer, Barwani to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

SCHEDULE

District - BARWANI
Tehsil - BARWANI

Forest Division - BARWANI
Forest Range - PATI

No.	RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bijasan	1	Bijasan/ PF Block - Bijasan-Compartment no 346	-	2/1	16.650	Pahad	D-1206-1653-X-3-04/Date 3-6-2004	11-6-2004	North- Pillar No. 1 to 13, Boundaries of Narmada river&Kh. No. 90/3, 90/2, 90/1,99,13/1,14,15&16 East- Pillar No. 13 to 14 Boundary of Cart-Track South- Pillar No. 14 to 23, Boundaries of Kh. No. 157, Road Remaining Part of Kh.No.2/2,6/1&5. West- Pillar No. 23 & 1 Boundary of Village Morkata
						10.000	Charnoi			
						19.376	Charnoi			
	Total					46.026				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE, Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 7 अगस्त 2018

क्र. 9290-स.अ.रा.-2018.—कार्यालय के कार्यविभाजन आदेशों की प्रतियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि जिले में कलेक्टर, नरसिंहपुर द्वारा समय-समय पर कार्यविभाजन के लिखित आदेश द्वारा जिले के अनुविभागीय अधिकारियों को मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के तहत शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है।

2. मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 की धारा (3) में यह भी प्रावधान है कि उपरोक्तानुसार शक्तियों के प्रत्यायोजन हेतु जारी अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में किया जाना चाहिए. यद्यपि यह संभव है कि पूर्व में अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में कराया गया हो किन्तु इस संबंध में कोई रिकार्ड वर्तमान में उपलब्ध होना नहीं पाया जाता.

अतः उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 की धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन जिले के अनुविभागीय अधिकारियों को निम्नानुसार शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है:—

- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहपुर | अनुविभाग नरसिंहपुर के अन्तर्गत मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अधीन समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाएंगे. |
| 2. | अनुविभागीय अधिकारी, गोटेगांव | अनुविभाग गोटेगांव के अन्तर्गत मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अधीन समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाएंगे. |
| 3. | अनुविभागीय अधिकारी, गाडरवारा | अनुविभाग गाडरवारा के अन्तर्गत मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अधीन समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाएंगे. |
| 4. | अनुविभागीय अधिकारी, तेंदूखेड़ा | अनुविभाग तेंदूखेड़ा के अन्तर्गत मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अधीन समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाएंगे. |

3. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश के पूर्व अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अधीन की गई कार्यवाहियां प्रभावित नहीं होंगी क्योंकि उन्हें लिखित आदेश द्वारा अधिकृत किया गया है।

अभय वर्मा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश
हरदा, दिनांक 23 अगस्त 2018

क्र. 9061-एस.सी.-2-2017-18.—शासकीय स्नातक महाविद्यालय, टिमरनी की जनभागीदारी समिति की बैठक के प्रस्ताव पर जिला योजना समिति, हरदा की बैठक दिनांक 10 मई 2018 के निर्णय अनुसार शासकीय महाविद्यालय, टिमरनी का नाम भाऊ साहेब भुस्कुटे, शासकीय महाविद्यालय, टिमरनी किया जाता है।

एस. विश्वनाथन, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 14 सितम्बर 2018

क्र. 6109-भू-अभि.-2018.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नक्शाविहीन ग्राम नेवरी, प.ह.नं. 06, तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास, मध्यप्रदेश का अधिकार अभिलेख निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाकर लागू किया जाता है।

श्रीकान्त पाण्डेय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2018

क्र. 6325-नोअविप-विपप्र-2018-2019.—आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार विभागीय परीक्षा दिनांक 16 से 20 जुलाई, 2018 की अवधि में प्रश्न-पत्र मध्यप्रदेश स्थानीय शासन विषय में संपन्न की गई थी जिसका परिणाम मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 7 सितम्बर 2018 में प्रकाशित किया गया। इसमें रवीश श्रीवास्तव के स्थान पर लिपिकीय त्रुटिवश राहुल श्रीवास्तव अंकित हो गया है अतः त्रुटि सुधार के पश्चात् “मध्यप्रदेश स्थानीय शासन” विषय में क्रमांक 26 पर अंकित परीक्षार्थी का नाम राहुल श्रीवास्तव के स्थान पर रवीश श्रीवास्तव पढ़ा जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश कुमार यादव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं नोडल अधिकारी विभागीय परीक्षा।

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2018

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे.आर.-एन-पंजाब-2018-19-698.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2018-19 हेतु मे. एन. पंजाब शुगर मिल प्रा. लि. ग्राम-हिनाखेड़ी, तहसील-चांद, वि.ख.-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ:—

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	छिन्दवाड़ा	फैक्ट्री गेट	166	2827.114
कुल . .			166	2827.114

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त।

एन० पंजाब शुगर मिल प्रा० लि०
हरनाखेडी (चांद) छिंदवाडा म० प्र०
गन्ना क्षेत्र आरक्षण विवरण (हेक्टेयर में) पेराई सीजन 2018-19

जिला छिंदवाडा के ग्राम					
क्रमांक	ग्राम का नाम	रोपा	जडी	तिरी	योग
1	चांद	17.683	21.571	13.064	52.318
2	भांडपिपरिया	8.129	2.496	0.540	11.165
3	विकला	10.713	9.447	5.773	25.933
4	रानीखैरी	2.668	7.780	6.737	17.185
5	कौआखेडा	27.665	17.576	3.566	48.807
6	वेलगांव	10.522	14.093	6.919	31.534
7	मोघर	21.687	10.248	11.700	43.635
8	गुमगांव	1.657	1.010	0.000	2.668
9	खापाविहारी	13.283	7.361	1.010	21.654
10	दिलावर मोहगांव	42.699	32.829	14.508	90.035
11	रगडा	0.000	1.048	1.173	2.221
12	पठरा	1.080	0.000	0.000	1.080
13	पखडिया	2.300	3.161	2.230	7.691
14	किशनपुर	9.354	1.876	1.001	12.231
15	सटोटी	10.345	6.448	3.934	20.728
16	पिपरिया कला	9.861	4.162	1.783	15.807
17	हिवरा जयसिंग	9.293	2.449	1.620	13.362
18	बतरी	3.590	7.729	1.141	12.459
19	चांदढाना	0.945	0.531	0.726	2.202
20	घोगरी हरहर	0.908	0.712	0.000	1.620
21	मालीखैरी	7.468	1.164	1.699	10.331
22	बंधान	7.915	9.666	1.774	19.354
23	शेरपापडा	2.286	1.173	1.462	4.921
24	डोकली	0.773	1.578	0.000	2.351
25	मोया मोहगांव	0.000	0.968	0.000	0.968
26	सिंगोडी	28.946	13.781	8.129	50.856
27	सिरस	17.576	1.630	11.519	30.724
28	कुकरई	0.698	1.164	0.000	1.862
29	धमनिया सिरस	26.268	10.420	9.777	46.466

30	बम्हनी लाला	19.038	9.042	8.287	36.367
31	बर्सा	22.632	10.541	7.822	40.995
32	बर्सा खेडा	6.262	7.580	1.713	15.555
33	बर्सा मनियाटोला	0.712	0.596	0.978	2.286
34	बर्सा रामाटोला	3.268	0.000	0.885	4.153
35	पांजरा	33.164	28.610	16.752	78.526
36	नोनी खुर्द	23.703	5.708	10.085	39.496
37	नांदना	26.934	8.017	13.241	48.193
38	परसोली	1.462	6.490	6.062	14.014
39	पटिया	3.720	1.760	0.000	5.480
40	डोंगरीटोला	10.015	1.909	2.151	14.075
41	सिंगोडी टोला	10.476	8.101	6.006	24.583
42	जामुन टोला	6.751	1.397	0.000	8.148
43	बाडीबाडा	36.069	9.670	8.576	54.315
44	कुम्पानी	0.000	0.000	0.698	0.698
45	नोनी कला	27.921	10.923	18.307	57.151
46	ढुटमर	5.354	0.000	0.000	5.354
47	राजलवाडी	8.599	6.290	13.614	28.503
48	मोंहगांव कला	3.934	4.982	3.059	11.975
49	झिरिया	4.623	0.116	0.000	4.740
50	केरिया	13.660	5.196	8.050	26.906
51	पालादौन	10.718	4.898	3.161	18.777
52	मडकाहान्डी	0.000	1.141	0.000	1.141
53	मुआरी	0.000	1.034	0.000	1.034
54	मेडावानी	1.564	1.150	0.805	3.520
55	खुटपिपरिया	2.896	1.485	4.931	9.312
56	तांडे	1.252	0.000	0.000	1.252
57	तेन्दनी	8.911	0.275	1.895	11.081
58	आमाझिरी	0.610	0.000	0.000	0.610
59	सिरेगांव	0.000	0.000	0.954	0.954
60	लुंगसी	0.000	0.000	0.577	0.577
61	कामठी	0.368	0.000	0.000	0.368
62	कुन्डा	9.433	0.507	0.000	9.940
63	थावरी कुन्डा	6.425	7.193	4.865	18.484

64	हतोडा	1.979	0.000	0.000	1.979
65	खिरखिरी	0.517	3.883	0.000	4.400
66	विछुआ	1.360	2.831	0.922	5.112
67	परासिया	3.836	1.103	0.000	4.940
68	हरनभटा	0.875	3.278	0.000	4.153
69	किरगीपार	6.160	3.757	1.117	11.034
70	लिखडी	2.300	0.000	1.299	3.599
71	हिवरा	0.517	0.000	2.165	2.682
X 72	शिलमिली	0.000	0.000	0.000	0.000
73	हरनाखेडी	24.336	7.822	13.176	45.334
74	चिखली खुर्द	4.097	0.000	0.587	4.684
75	टिघरा	17.585	3.748	3.590	24.923
76	बांकानागनपुर	19.848	1.932	5.066	26.846
77	पाल्हरी	6.844	6.951	4.428	18.223
78	केरिया	0.116	2.328	0.875	3.320
79	चोरगांव	3.925	0.000	8.804	12.729
80	आमटा	9.777	3.576	8.674	22.027
81	चीजगांव	2.505	0.000	0.251	2.756
82	माचागोरा	0.954	0.000	0.000	0.954
83	बोहनाखेरी	1.453	2.795	5.501	9.759
84	नवेगांव	3.576	0.000	0.000	3.576
85	पान्तखेडा	0.931	0.000	0.000	0.931
86	चनिया खुर्द	1.271	1.634	2.109	5.014
87	बडडाढाना	2.770	0.000	2.770	5.540
88	बेलखेडा	1.164	0.000	0.000	1.164
89	रोहना	6.937	0.000	13.944	20.882
90	जटलापुर	0.000	1.103	0.000	1.103
91	खुटिया	3.091	0.400	0.000	3.492
92	पिण्डरई कला	6.555	6.267	6.109	18.931
93	शहपुरा	20.598	20.863	14.200	55.661
94	खमरा	40.008	19.773	11.691	71.472
95	धमनिया खमरा	1.164	0.000	0.000	1.164
96	सोनापिपरी	11.216	5.755	4.186	21.156
97	सलैया	11.635	11.402	10.331	33.369

98	सुसरई	3.874	1.164	1.401	6.439
99	कोटलवरी	4.935	1.495	4.805	11.235
100	खेडा	1.415	1.727	2.128	5.270
101	पुलपुलडोह	15.243	3.534	13.386	32.163
102	थांवरी भाजीपानी	1.988	5.685	12.748	20.421
103	कुहिया	26.376	20.258	27.167	73.800
104	सुनारी मोहगांव	24.648	28.932	22.544	76.123
105	जैतपुर	1.751	2.253	0.000	4.004
106	धोलपुर	0.000	0.000	0.712	0.712
107	बीजापानी	2.081	0.424	5.005	7.510
108	भाजीपानी	1.620	4.889	6.304	12.813
109	खापा कला भाजीपानी	5.163	7.896	1.299	14.359
110	सांख	1.401	0.000	0.000	1.401
111	जटामा	2.672	1.034	2.104	5.811
112	घगडिया	0.968	1.383	0.000	2.351
113	सालईछिंदी	32.554	6.551	24.266	63.371
114	गोहरगांव	9.191	2.221	9.051	20.463
115	परसगांव	13.553	2.705	4.586	20.844
116	मुडियाखेडा	18.642	5.708	7.338	31.688
117	बम्हनीतुरा	9.824	5.061	4.097	18.982
118	कोंडरखापा	4.507	9.549	0.382	14.438
119	नीलकंठी कला	1.499	0.000	0.000	1.499
120	नोलाझिर	5.764	1.853	8.148	15.765
121	उभेगांव	0.382	0.838	1.681	2.901
122	राजना	0.321	1.024	1.713	3.059
123	केकडा	2.728	0.554	1.415	4.698
124	नवलगांव	4.670	0.000	2.980	7.650
125	ढीमरमेटा	2.877	3.152	1.793	7.822
126	चोर बतरी	0.000	1.532	0.000	1.532
127	माताखैरी	23.819	3.683	9.288	36.791
128	नवेगांव गोड	0.000	0.382	0.000	0.382
129	उलाबाडी	0.000	0.000	0.978	0.978
130	कुकडा	0.000	1.695	0.000	1.695
131	बामला	1.127	1.657	0.549	3.334

132	पचगांव	13.954	19.340	12.580	45.874
133	आमगांव	8.897	11.579	11.784	32.261
134	खाति पिपरिया	0.000	2.486	4.823	7.310
135	टाप	6.597	13.376	0.000	19.974
136	पोनिया	0.000	5.890	0.000	5.890
137	खैरघाट	4.539	5.168	3.511	13.218
138	बांसखेडा	5.038	5.247	13.097	23.382
139	पतलोन	0.000	6.188	3.315	9.503
140	थोटा	0.931	0.931	0.791	2.654
141	रमपुरी	8.246	18.963	24.890	52.099
142	घोडपुर	0.712	0.000	0.908	1.620
143	डोलापांजरा	0.000	0.000	2.752	2.752
144	तीतरी	2.919	4.917	11.151	18.987
145	चंदनगांव	27.549	23.065	21.031	71.645
146	बादगांव	25.305	6.690	5.880	37.876
147	लालगांव	7.384	2.612	5.955	15.951
148	दावाझिर	0.899	0.000	5.084	5.983
149	गुमतुरा	3.613	5.154	0.712	9.479
150	ओरिया	14.345	8.902	3.795	27.041
151	सीताझिर	6.388	6.695	0.000	13.083
152	फुटेरा	11.705	3.003	0.321	15.029
153	समसवाडा	0.689	0.000	0.643	1.332
154	श्यामाटोला	10.075	0.000	0.000	10.075
155	साजपानी	15.793	4.754	3.627	24.173
156	हलाल	10.969	3.441	2.160	16.570
157	मंदरिया	4.623	0.000	5.182	9.805
158	ग्रेहटिया	23.680	6.704	4.460	34.845
159	खैररांझी	9.810	0.368	1.048	11.225
160	सीदप	0.335	1.751	0.345	2.430
161	छापर	11.691	1.830	6.430	19.950
162	फुटेरा मोहगांव	13.218	2.398	6.160	21.776
163	खैरी टोला	5.294	0.000	5.215	10.508
164	करलई	22.800	4.512	4.898	32.209
165	कोना पिण्डरई	1.900	0.000	1.336	3.236

166	हरदुआ	4.395	0.000	0.000	4.395
167	हालाल खुर्द	6.411	0.000	0.619	7.030
कुल योग					2827.114

कार्यालय, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2018

संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ-1-3-18-रा.स.-यू.ए. 1-1577.—मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 9 की उपधारा (1) सहपठित परिनियम 01 की कण्डिका 02 के प्रावधान के तहत मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिये इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-3-18-रा.स.-यू.ए. 1-1237, दिनांक 28 जुलाई 2018 के द्वारा डॉ. पंकज एल. जानी, कुलपति डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की गई है जिसमें प्रो. जे. एस. राजपूत, ग्रेटर नोयडा एवं प्रो. रामदेव भारद्वाज, कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल सदस्य हैं।

(2) समिति को गठन दिनांक से छः सप्ताह में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करना था परन्तु अपरिहार्य कारणों से समिति द्वारा निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में पैनल प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।

(3) अतः, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 9 की उपधारा (1) सहपठित परिनियम 05 की कण्डिका 5 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी के द्वारा समिति को पैनल प्रस्तुत करने के लिये पूर्व निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में 03 सप्ताह की और वृद्धि की गई है।

कुलाधिपति, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के आदेशानुसार,

केयूर संपत, राज्यपाल के उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, गरोठ, जिला मंदसौर

क्रमांक 5033-रीडर-भू-अर्जन-डक्ट एक्ट-2018

गरोठ, दिनांक 29 सितम्बर 2018

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित मे यह अवश्यक प्रतीत होता है कि शामगढ़ सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में जल परिवहन हेतु ग्राम (अनुसूचिनुसार) तहसील शामगढ़ जिला मंदसौर में मध्यप्रदेश राज्य मै मैसर्स ऑफशोर इन्फ्रास्ट्रक्चरस लिमीटेड द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मै, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मै वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 9 सन 2013) कि धारा 3 कि उपधारा (1) द्वारा प्रादत शक्तियो का प्रयोग मै लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची मै वर्णित भूमि मै हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम कि धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र मै प्रकाशित होती है ईक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के निचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाने के संबंध मै सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय राजस्व गरोठ जिला मंदसौर मध्यप्रदेश को लिखित मे आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

अनु क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मंदसौर	शामगढ़	असावती	1043	0.027
2	मंदसौर	शामगढ़	असावती	1041/2	0.018
3	मंदसौर	शामगढ़	असावती	1041/1	0.027

4	मंदसौर	शामगढ़	असावती	1040/3	0.014
5	मंदसौर	शामगढ़	असावती	1040/2	0.021
6	मंदसौर	शामगढ़	असावती	1064	0.055
7	मंदसौर	शामगढ़	असावती	1104/1	0.010
8	मंदसौर	शामगढ़	असावती	936	0.040
9	मंदसौर	शामगढ़	असावती	935	0.002
10	मंदसौर	शामगढ़	असावती	933	0.011
11	मंदसौर	शामगढ़	असावती	930	0.010
12	मंदसौर	शामगढ़	असावती	929	0.016
13	मंदसौर	शामगढ़	असावती	920	0.028
14	मंदसौर	शामगढ़	असावती	893	0.030
15	मंदसौर	शामगढ़	असावती	894	0.007
16	मंदसौर	शामगढ़	असावती	866	0.014
17	मंदसौर	शामगढ़	असावती	867	0.015
18	मंदसौर	शामगढ़	असावती	868	0.046
19	मंदसौर	शामगढ़	असावती	869	0.003
20	मंदसौर	शामगढ़	असावती	151	0.026
21	मंदसौर	शामगढ़	असावती	148	0.036
22	मंदसौर	शामगढ़	असावती	121/1	0.008
23	मंदसौर	शामगढ़	असावती	122	0.053
24	मंदसौर	शामगढ़	आगर	207	0.031
25	मंदसौर	शामगढ़	आगर	206	0.063
26	मंदसौर	शामगढ़	आगर	190	0.053
27	मंदसौर	शामगढ़	आगर	32	0.023
28	मंदसौर	शामगढ़	आगर	12	0.053
29	मंदसौर	शामगढ़	आगर	11	0.029
30	मंदसौर	शामगढ़	आगर	10	0.023
31	मंदसौर	शामगढ़	आगर	8	0.009
32	मंदसौर	शामगढ़	आगर	6	0.014
33	मंदसौर	शामगढ़	आगर	5	0.047
34	मंदसौर	शामगढ़	आगर	4	0.082
35	मंदसौर	शामगढ़	आवरा	573	0.033
36	मंदसौर	शामगढ़	आवरा	396	0.044
37	मंदसौर	शामगढ़	आवरा	398	0.009
38	मंदसौर	शामगढ़	आवरा	390	0.012
39	मंदसौर	शामगढ़	आवरा	388	0.018
40	मंदसौर	शामगढ़	आवरा	387	0.015
41	मंदसौर	शामगढ़	आवरा	386	0.006
42	मंदसौर	शामगढ़	आवरा	384	0.067

43	मंदसौर	शामगढ़	आवरा	362	0.028
44	मंदसौर	शामगढ़	एरी	96	0.028
45	मंदसौर	शामगढ़	एरी	91	0.021
46	मंदसौर	शामगढ़	एरी	87	0.033
47	मंदसौर	शामगढ़	एरी	62	0.024
48	मंदसौर	शामगढ़	एरी	52/6	0.024
49	मंदसौर	शामगढ़	एरी	249	0.049
50	मंदसौर	शामगढ़	एरी	255/1	0.032
51	मंदसौर	शामगढ़	एरी	254	0.003
52	मंदसौर	शामगढ़	एरी	250	0.053
53	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	94	0.058
54	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	95	0.099
55	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	90	0.024
56	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	77	0.029
57	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	73	0.057
58	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	137	0.020
59	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	138	0.048
60	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	140	0.014
61	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	141	0.045
62	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	53	0.001
63	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	51	0.051
64	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	196	0.038
65	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	26	0.032
66	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	28	0.014
67	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	215	0.057
68	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	216	0.014
69	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	223	0.025
70	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	94	0.091
71	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	93	0.028
72	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	92	0.020
73	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	90	0.002
74	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	89	0.024
75	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	88	0.013
76	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	81	0.006
77	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	80	0.029
78	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	79	0.012
79	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	69	0.004
80	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	68	0.028
81	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	65	0.019

82	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	55	0.001
83	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	56	0.051
84	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	57	0.032
85	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	46	0.074
86	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	39	0.048
87	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	35	0.033
88	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	5	0.079
89	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	94	0.090
90	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	93	0.004
91	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	86	0.076
92	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	85	0.006
93	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	84	0.039
94	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	83	0.040
95	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	62	0.023
96	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1705/2	0.047
97	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1705/3	0.043
98	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1174/2	0.018
99	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1170	0.031
100	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1176	0.049
101	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1164	0.006
102	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1163	0.040
103	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1162	0.014
104	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1161	0.025
105	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1083	0.013
106	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1082	0.009
107	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1081	0.010
108	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1080	0.027
109	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1079	0.008
110	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1077	0.034
111	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1048	0.012
112	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1049	0.011
113	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1050	0.014
114	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1051/5	0.062
115	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1053	0.022
116	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	965	0.006
117	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	963	0.023
118	मंदसौर	शामगढ़	गोपालपुरा	3	0.022
119	मंदसौर	शामगढ़	गोपालपुरा	49	0.005
	मंदसौर	शामगढ़	गोपालपुरा	51	0.019

120					
121	मंदसौर	शामगढ़	गोपालपुरा	52	0.016
122	मंदसौर	शामगढ़	गोपालपुरा	53	0.049
123	मंदसौर	शामगढ़	गोपालपुरा	65	0.052
124	मंदसौर	शामगढ़	गोपालपुरा	94	0.022
125	मंदसौर	शामगढ़	गोपालपुरा	96	0.014
126	मंदसौर	शामगढ़	गोपालपुरा	116	0.008
127	मंदसौर	शामगढ़	गोपालपुरा	112	0.059
128	मंदसौर	शामगढ़	गोपालपुरा	113	0.016
129	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	991	0.034
130	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1002	0.019
131	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1003	0.083
132	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1005	0.032
133	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1006	0.048
134	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	972	0.028
135	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	971	0.036
136	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	947	0.029
137	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	945	0.035
138	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	942	0.008
139	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	941	0.044
140	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	939	0.00020
141	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	940	0.036
142	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	931	0.014
143	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	848	0.038
144	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	849	0.047
145	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	850	0.065
146	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	853	0.040
147	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	856	0.020
148	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	857	0.018
149	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	858	0.015
150	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	859	0.017
151	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	860	0.025
152	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	861	0.044
153	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	867	0.005
154	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	871	0.006
155	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	807	0.008
156	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	806	0.009
157	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	805	0.047
158	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	289	0.002

159	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	741	0.035
160	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	740	0.010
161	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	739	0.015
162	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	737	0.030
163	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	730	0.028
164	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	731	0.030
165	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	695	0.046
166	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1594	0.044
167	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	688	0.039
168	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1599	0.029
169	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1601	0.003
170	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1602	0.019
171	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1603	0.042
172	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1604	0.021
173	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1605	0.016
174	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1606	0.030
175	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1629	0.031
176	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1630	0.004
177	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	675	0.061
178	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1632	0.015
179	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1196	0.014
180	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1197	0.011
181	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1202	0.042
182	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1201	0.023
183	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1200	0.018
184	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1207	0.063
185	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1208	0.050
186	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1212	0.052
187	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1211	0.033
188	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1302	0.008
189	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1303	0.040
190	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1304	0.010
191	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1305	0.037
192	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1309	0.061
193	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1310	0.028
194	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1312	0.006
195	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1313	0.010
196	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1314	0.023
197	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1315	0.018

198	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1398	0.012
199	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1317	0.026
200	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1331	0.012
201	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1332	0.010
202	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1342	0.013
203	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1343	0.014
204	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1350	0.012
205	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1362	0.007
206	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1368	0.002
207	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1367	0.022
208	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1375	0.055
209	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1378	0.015
210	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1498	0.003
211	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1497	0.071
212	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1839	0.067
213	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1846	0.006
214	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1847	0.044
215	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1856	0.010
216	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1861	0.018
217	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1920	0.049
218	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1919	0.053
219	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1915	0.086
220	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1914	0.021
221	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1913	0.022
222	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1879	0.042
223	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1891	0.002
224	मंदसौर	शामगढ़	तोलाखेडी	164	0.036
225	मंदसौर	शामगढ़	तोलाखेडी	166	0.039
226	मंदसौर	शामगढ़	तोलाखेडी	165	0.011
227	मंदसौर	शामगढ़	तोलाखेडी	261	0.032
228	मंदसौर	शामगढ़	तोलाखेडी	267	0.016
229	मंदसौर	शामगढ़	तोलाखेडी	268	0.003
230	मंदसौर	शामगढ़	तोलाखेडी	269	0.037
231	मंदसौर	शामगढ़	बनी	602	0.111
232	मंदसौर	शामगढ़	बनी	592	0.056
233	मंदसौर	शामगढ़	बनी	150	0.086
234	मंदसौर	शामगढ़	बनी	148	0.027
235	मंदसौर	शामगढ़	बनी	146	0.068
236	मंदसौर	शामगढ़	बनी	119	0.012

237	मंदसौर	शामगढ़	बनी	77	0.032
238	मंदसौर	शामगढ़	बनी	49	0.078
239	मंदसौर	शामगढ़	बनी	48	0.049
240	मंदसौर	शामगढ़	बनी	16	0.085
241	मंदसौर	शामगढ़	बनी	19	0.048
242	मंदसौर	शामगढ़	बनी	20	0.011
243	मंदसौर	शामगढ़	बनी	22	0.067
244	मंदसौर	शामगढ़	बनी	3	0.002
245	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	229	0.008
246	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	230	0.022
247	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	231	0.018
248	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	233	0.025
249	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	234	0.007
250	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	238	0.057
251	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	257	0.010
252	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	268	0.044
253	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	267	0.029
254	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	270	0.011
255	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	271	0.082
256	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	330	0.011
257	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	322	0.059
258	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	316	0.008
259	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	314	0.043
260	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	313	0.044
261	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	312	0.012
262	मंदसौर	शामगढ़	बर्डिया ऊंचा	480	0.003
263	मंदसौर	शामगढ़	बर्डिया ऊंचा	478	0.003
264	मंदसौर	शामगढ़	बर्डिया ऊंचा	432	0.021
265	मंदसौर	शामगढ़	बर्डिया ऊंचा	439	0.006
266	मंदसौर	शामगढ़	बर्डिया ऊंचा	440	0.016
267	मंदसौर	शामगढ़	बर्डिया ऊंचा	416/2	0.004
268	मंदसौर	शामगढ़	बर्डिया ऊंचा	415	0.026
269	मंदसौर	शामगढ़	बर्डिया ऊंचा	408	0.002
270	मंदसौर	शामगढ़	बर्डिया ऊंचा	362	0.014
271	मंदसौर	शामगढ़	बर्डिया ऊंचा	366	0.016
272	मंदसौर	शामगढ़	बापच्या	346	0.008
273	मंदसौर	शामगढ़	बापच्या	345	0.037
274	मंदसौर	शामगढ़	बापच्या	344	0.060
275	मंदसौर	शामगढ़	बावडी खेडा	189	0.008

276	मंदसौर	शामगढ़	बावडी खेडा	187	0.020
277	मंदसौर	शामगढ़	बावडी खेडा	190/4	0.023
278	मंदसौर	शामगढ़	बावडी खेडा	185	0.044
279	मंदसौर	शामगढ़	बावडी खेडा	150	0.036
280	मंदसौर	शामगढ़	बावडी खेडा	184	0.014
281	मंदसौर	शामगढ़	बावडी खेडा	166	0.030
282	मंदसौर	शामगढ़	बावडी खेडा	168	0.031
283	मंदसौर	शामगढ़	बावडी खेडा	169	0.053
284	मंदसौर	शामगढ़	बोरखेड़ी रेडका	603	0.014
285	मंदसौर	शामगढ़	बोरखेड़ी रेडका	602	0.014
286	मंदसौर	शामगढ़	भट्टनी	143	0.050
287	मंदसौर	शामगढ़	भट्टनी	144	0.056
288	मंदसौर	शामगढ़	भट्टनी	145	0.002
289	मंदसौर	शामगढ़	सालरी	368	0.024
290	मंदसौर	शामगढ़	सालरी	341	0.054
291	मंदसौर	शामगढ़	सालरी	329	0.026
292	मंदसौर	शामगढ़	सालरी	331	0.037
293	मंदसौर	शामगढ़	सालरी	321	0.042
294	मंदसौर	शामगढ़	सालरी	320	0.036
295	मंदसौर	शामगढ़	सालरी	319	0.026
296	मंदसौर	शामगढ़	सालरी	308	0.042
		कुल क्षेत्र (हेक्टेयर मे)			8.687

0

अनुकूल जैन, सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 24 जुलाई 2018

क्रमांक 35अ-82-16-17-7863

मौजा गौची पट. ह. नं.-94, तहसील सागर

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : गौची
 4. पट.ह.नं.- : 94
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.040 है.

स. क्र.	भू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	अर्जित भूमि का विवरण		भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
				सिंचित	असिंचित	
				5	6	7
1	रामचंद्र, प्रहलाद वल्द गफलू साकिन देह	5	0.910	0.000	0.040	निरंक
2	दशरथ वल्द कड़ोरी साकिन देह	16	0.750	0.010	0.000	निरंक
3	श्री देव हनुमानजी मंदिर बांके मौजा भैसवाही अध्यक्ष गनेश वल्द गफलू साकिन भैसवाही	17	1.630	0.000	0.070	निरंक
4	मित्तू, थोवन वल्द कुदू, जीवन वल्द बखत, गोपी, मना पिता कुदू साकिन देह	78	1.700	0.160	0.000	बांस भिरा-2 कोहा-2 खैर-2
		127	1.070	0.000	0.020	निरंक
5	किशोरी वल्द छिमादर साकिन भैसवाही अहस्तांतरणीय	80	1.000	0.120	0.000	निरंक
6	मुन्ना, मनोहर वल्द उमराई, कस्तूरीबाई, गुलाबरानी वेवा उमराई साकिन देह	82	0.940	0.000	0.170	निरंक
7	शंकर, महेन्द्र, शिवराम, गोकल, गंगोत्री, शांति, सरस्वती पिसरान दयाराम, पानबाई वेवा दयाराम अहिरवार साकिन देह अहस्तांतरणीय	85	1.000	0.020	0.000	निरंक
8	बाबूलाल वल्द मुलू, लक्ष्मीबाई पति बाबूलाल साकिन देह अहस्तांतरणीय	91/2	1.000	0.000	0.150	निरंक
9	फूलरानी पति दीनदयाल कुर्मी साकिन गुडा	108/1	1.200	0.000	0.060	निरंक
10	उमारानी पति सीताराम साकिन देह	108/2	2.300	0.490	0.000	निरंक
11	दामोदर पिता किशन साकिन भैसवाही	116/1	0.260	0.000	0.030	निरंक
12	बूठे वल्द कच्छेदी साकिन भैसवाही	117	0.100	0.000	0.060	निरंक
13	माधव वल्द कड़ोरी साकिन भैसवाही	118	0.460	0.000	0.020	निरंक

14	मुन्ना, मनोहर वल्द उमराई, कस्तूरीबाई वेवा उमराई साकिन देह	121	0.750	0.000	0.220	निरंक
		123	0.830	0.000	0.070	निरंक
15	बैजनाथ वल्द सरू साकिन भैसवाही	124	0.820	0.000	0.110	निरंक
16	रूपरानी वेवा सुक्के, नरान, कैलाश पिता सुक्के, रामवती, पूना, नीतू पुत्री सुक्के, सरोजरानी वेवा रामप्रसाद, सुनील, सत्यदेव पिता रामप्रसाद, दशोदा पुत्री रामप्रसाद साकिन भैसवाही	128	0.510	0.000	0.130	निरंक
17	सिरदारबहू वेवा कन्छेदी, नरेश, अमोल पिता रामरतन, रति पुत्री रामरतन, संतोषरानी वेवा रामरतन साकिन भैसवाही	129	1.080	0.000	0.060	निरंक
18	शंकर, शिव, तातू पिता बारेलाल, प्रेमबाई, बुलाबबाई पुत्री बारेलाल साकिन भैसवाही	133	0.970	0.030	0.000	निरंक
योग-		11	19.280	0.830	1.210	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 21/10/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 36अ-82-16-17-7861

मौजा भैंसदेही, पट. ह. नं.-103, तहसील सागर

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : भैंसवाही
 4. पट.ह.नं.- : 103
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.900 है.

स. क्र.	भू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण		भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
				सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7
1	मानकलाल, रमेश, बाबूलाल, द्वारका, लखन, देवेन्द्र पिता कड़ोरी साकिन गिरवर	842	1.570	0.200	0.000	निरंक
2	राजकुमार, सतेन्द्र, सुनील कुमार, सदीप कुमार पिता प्रेमचंद जैन साकिन भैंसवाही	843	0.190	0.000	0.010	निरंक
		846	0.400	0.000	0.070	निरंक
3	चन्द्रानी वेवा रतनचंद, सुभाष, सुरेश, देवचंद, कमलकुमार, अजयचंद पिता रतनचंद, सुनीता, जयंती पुत्री रतनचंद, राजेन्द्र वल्द खूबचंद साकिन देह	844	0.560	0.000	0.140	निरंक
4	नवीन कुमार वल्द प्रेमचंद, राहुल कुमार पिता राजकुमार	847	0.650	0.000	0.090	निरंक
5	राजकुमार वल्द भूरे साकिन गिरवर	848/4	0.200	0.000	0.050	निरंक
6	ठाकुरदास, धरमदास, टीकाराम पिता हल्कू	851/1	1.350	0.000	0.190	निरंक
7	गणेश पिता रामकिशन साकिन देह	851/2	0.770	0.100	0.000	निरंक
8	रामदास वल्द पन्ना, इन्द्रानी वेवा पन्ना साकिन गिरवर	852	0.200	0.000	0.040	निरंक
9	किर, राजाराम, कुन्दन, बाबूलाल बालिग, राजेन्द्र नाबालिग पिता मुन्ना पालक व खुद मों सनीबहू छबरानी वेवा मुन्ना साकिन गिरवर	853	1.140	0.000	0.010	निरंक
10	राजकुमार पिता प्रेमचंद साकिन देह	884	0.610	0.000	0.020	निरंक
11	मानकलाल, रमेश, बाबूलाल, द्वारका, लखन, देवेन्द्र पिता कड़ोरी साकिन गिरवर	898	0.730	0.000	0.090	निरंक
12	अमान, सुदामा, रघुवीर, सिद्धगोपाल, पिता पंचमलाल, शीला, शारदा, रामवती, मीना, किरन पुत्री पंचमलाल, गोपालराव वल्द काशीराम साकिन ग्वालियर, राकेश, राजकुमार पिता गोवर्धन, आरती पुत्री गोवर्धन, सोनारानी वेवा गोवर्धन, मनोहर, केशवप्रसाद पिता पुन्नी, द्रोपतीबाई, कन्तोबाई पुत्री पुन्नी साकिन देह	900/1	1.530	0.200	0.000	निरंक

13	मनोहर, केशव पिता पुन्नी, द्रोपती कंतो पुत्री पुन्नी, पुन्नी पिता कछेदी साकिन देह	900/2	0.760	0.030	0.000	निरंक
14	प्रकाशचंद, सुरेशकुमार पिता भागचंद, सुमतरानी वेवा भागचंद साकिन देह	901	0.240	0.000	0.010	निरंक
15	हरिदास वल्द मकुन्दी साकिन देह	1074/3	0.600	0.000	0.040	निरंक
16	गनेश, मोती, प्रहलाद, रामचंद पिता गफलू, शकुन, सरोज पिता गफलू, रामहरी, रामराज, विश्वनाथ, अतीश पिता मुरलीधर, कृष्णा, रामदेवी, रूपा पुत्री मुरलीधर साकिन देह	1079 1080/2	2.250 0.210	0.180 0.010	0.000 0.000	निरंक निरंक
17	मुन्ना, विशाल, गुडडा पिता काशीराम, बडीबहू वेवा काशीराम साकिन देह	1080/1	1.410	0.020	0.000	निरंक
18	शंकर उर्फ भैयाराम, राजाराम पिता मुन्नालाल साकिन गिरवर	1100	1.230	0.060	0.000	निरंक
19	अंजनी पति मदनलाल साकिन सागर	1102	1.420	0.000	0.060	निरंक
20	कौशल पिता कनई, सुहागरानी पति कनई साकिन देह	1103 1120	0.540 1.140	0.000 0.000	0.050 0.100	निरंक निरंक
21	जमना, गुलाब, विजय, बाली पिता सायमन, राजरानी वेवा सायमन साकिन देह	1104 1121	0.550 1.150	0.000 0.000	0.060 0.100	निरंक निरंक
22	सत्येन्द्र, पुष्पेन्द्र, भूपेन्द्र, राघवेन्द्र, दीपेन्द्र पिता कालूराम, अनीता, कल्पना, वंदना, सपना पुत्री कालूराम, गंदारानी वेवा कालूराम साकिन देह	1106/1	0.240	0.040	0.000	निरंक
23	राकेश कुमार वल्द धनीराम साकिन देह	1106/2	0.740	0.000	0.110	निरंक
24	सुन्दर वल्द कुन्ना उर्फ कुन्दनलाल राय साकिन देह	1106/3	0.800	0.000	0.060	निरंक
25	मुरलीधर वल्द कपूरे साकिन देह	1110	0.690	0.000	0.040	निरंक
26	राधारानी पति रामप्रसाद कुर्मी साकिन देह	1111 1113/2 1117	0.650 1.080 0.710	0.110 0.190 0.010	0.000 0.000 0.000	निरंक निरंक निरंक
27	इमरत वल्द गनपत राव साकिन देह	1113/1	0.010	0.000	0.010	निरंक
28	जमना वल्द बिहारी, गेंदाबाई, रूकमनबाई, ललताबाई पुत्री ननकू, रमेश, सुरेश वल्द अशोक, नरेश, भुवनेश्वर नाबालिग वल्द राजाराम वली व खुद मों छबरानी वेवा राजाराम साकिन आपचंद, काशीबाई पुत्री राजाराम साकिन रहली, प्रेमबाई पुत्री राजाराम साकिन खुरई, जानकीबाई पुत्री राजाराम साकिन देह	1114/1 1114/2	1.590 0.890	0.000	0.210 0.060	निरंक निरंक
29	टन्दू वल्द धनीराम, सावित्री पति घूमन, नन्हू पिता कलू साकिन देह अहस्तांतरणीय	1118	0.640	0.000	0.080	निरंक
30	धनीराम, नन्ना पिता कलुवा, हनमत, रामचरण पिता हल्का, उत्तरा, जयंती पिता हल्का साकिन देह	1119	0.920	0.000	0.050	निरंक
योग:-		37	30.360	1.150	1.750	निरंक

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 27/8/20/18 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियाँ, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 37अ-82-16-17-7859

मौजा गिरवर, पट. ह. नं.-102, तहसील सागर

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : गिरवर
 4. पट.ह.नं.- : 102
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.950 है.

स. क्र.	भू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण		भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
				सिंचित	असिंचित	
	2	3	4	5	6	7
1	मदू वल्द गंगाधर साकिन देह	912	1.280	0.080	0.000	निरंक
		922	0.420	0.090	0.000	निरंक
2	श्री देव जानकीरमण जी मुह. दामोदर, हीरा पिता भोजराज प्रबंधक कलेक्टर सागर साकिन देह	919	1.500	0.190	0.000	निरंक
3	रामकुमार वल्द रामदयाल साकिन देह	921	0.230	0.010	0.000	निरंक
4	किर. राजाराम, कुंदन, राजेन्द्र, पिता मुन्ना, फूलाबाई, शकुनबाई, शांतिबाई, बलाबाई पुत्री मुन्नालाल, जयरानी वेवा बाबूलाल, अनारबाई, पुष्पाबाई, ममताबाई, शीलाबाई नाबालिग पुत्री बाबूलाल वली माँ जयरानी साकिन देह	977	0.140	0.000	0.060	निरंक
5	कमलरानी वेवा धपू साकिन देह	987	0.230	0.080	0.000	निरंक
6	बैजनाथ वल्द हल्का साकिन देह	988	1.200	0.060	0.000	निरंक
7	मंदिर श्री देव जगदीश रमणजी मुह. पंचे कमेटी साकिन देह प्रबंधक कलेक्टर सागर	989	2.870	0.000	0.180	निरंक
8	गनेश बालिग सपना, अर्चना नाबालिग पिता हरीनारायण वली माँ व खुद रतीबाई वेवा हरीनारायण साकिन देह	992	1.110	0.070	0.000	निरंक
9	हरिनारायण, प्रभूनारायण पिता खेमचंद, मनोहर, विश्नु, सेवक, मुरारीलाल, कोमलप्रसाद, जगभूषण पिता शिवलाल साकिन देह	993	0.420	0.090	0.000	निरंक

10	हरीनारायण प्रेमनारायण पिता खेमचंद साकिन देह	994	0.430	0.040	0.000	निरंक
	योग	11	9.830	0.710	0.240	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 09/10/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

सागर, दिनांक 20 सितम्बर 2018

क्रमांक 06अ-82-17-18-10518

मौजा बिलासपुर, पट. ह. नं.-27, तहसील राहतगढ़

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम :- बीना संयुक्त सिंचाइ एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध
- (2) भूमि का विवरण :-
1. जिला सागर
 2. तहसील राहतगढ़
 3. ग्राम बिलासपुर
 4. पटवारी हल्का नं. 27
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 37.690 हेक्टे0

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)		भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां
					सिंचित	असिंचित	
1	वृजरानी जौजे रामसेवक पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	4/1	0.300	0.000	0.300	तेंदू-1, सागौन-214, पलाश-26, बबूल-1, रुसल्ला-1, बांसभिरा-1
		भूमि स्वामी	4/4	0.290	0.000	0.290	-
2	कमलरानी पत्नि मिटदू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4/2	0.990	0.000	0.990	बहेड़ा-1, सागौन-203, पलाश-35
3	जनकदुलारी परि रमेश पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	4/3	0.590	0.000	0.590	सागौन-45, पलाश-13, बबूल-1

4	जागरसींग बल्द मुरलीधर पता सा देह	भूमि स्वामी	5/1	1.400	0.000	1.400	बहेड़ा-1, तेंदू-1, सागौन-416, पलाश-97, बरगद-1, कुमी-1
		भूमि स्वामी	13	3.230	1.050	0.000	बेरी-4, आचार-1, आंवला-1, जामुन-1, सागौन-96, पलाश-44, गुरार-3, साज-2, करियासेजा-8, सेमर-1, बबूल-1, पीपल-1, कुआं-1
5	देवेन्द्र कुमार बल्द मुरलीधर पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	5/2	0.850	0.000	0.850	तेंदू-1, सागौन-248, पलाश-60
6	पूरन बल्द तिजई पता सा भानगढ सेवा खातेदार	सेवा खातेदार	7	1.890	0.000	1.890	खजूर-1, सागौन-198, पलाश-15, अर्जुन-1, पीपल-2
		सेवा खातेदार	11	2.470	0.000	2.470	सागौन-280, पलाश-59
		सेवा खातेदार	73	0.620	0.000	0.620	सागौन-9, पलाश-7
7	लक्ष्मन, राजू, बल्द बारेलाल नन्हीबाई बेवा बारेलाल पता सा देह	भूमि स्वामी	14	0.850	0.000	0.020	सागौन-1
8	मुशीलाल बल्द छोटेलाल पता सा देह	भूमि स्वामी	22	1.730	0.650	0.000	बेरी-4, खजूर-1, जामुन-1, सागौन-13, करियासेजा-2, पलाश-1, सेमर-1, ऊमर-1, कुआं-1
9	फूलसींग नारायणसींग मिटदूसींग रमेश परसोत्तम रामसेवक पिता काशीराम पता सा देह	भूमि स्वामी	24	1.910	0.000	1.410	खजूर-1, सागौन-2, पलाश-10, सेमर-1, बबूल-2, खेर-2, गुरार-1

		भूमि स्वामी	31	0.550	0.550	0.000	बेरी-1, सागौन-7, पलाश-2, गुंजा-1, सेमर-1 कुआ 1
		भूमि स्वामी	71	0.580	0.000	0.200	-
10	नत्थू वल्द उमराव पता सा देह	भूमि स्वामी	25/1	1.360	1.120	0.000	आम-1, खजूर-1, बेरी-2, सागौन-3, पलाश-1, कुआं-1
11	बाबूलाल वल्द उमराव पता सा देह	भूमि स्वामी	25/2	1.360	0.000	1.360	बेरी-1, आम-1, खजूर-1, सागौन-1, पलाश-1
12	नूरमोहम्मद वल्द अकबर पता सा राहतगढ	भूमि स्वामी	27/2	1.210	0.000	1.210	अर्जुन-1
13	कौशिल्या सावित्री, कृष्णा, लक्ष्मी पुत्री कडोरी पता सा देह	भूमि स्वामी	27/3	0.800	0.000	0.800	सागौन-2, अर्जुन-1
14	नारान पिता काशीराम पता सा देह	भूमि स्वामी	30	1.210	1.210	0.000	बेरी-6, जामुन-1, सागौन-10, पलाश-5, अर्जुन-1, ऊमर-1, कुआं-1
15	सतीष बल्द कमल पता सा देह	भूमि स्वामी	32	2.640	0.000	1.440	बेरी-2, खजूर-15, सागौन-58, पलाश-54, सेमर-1, खेर-7
16	रेवाराम वल्द शेव पता सा देह	भूमि स्वामी	35	0.200	0.000	0.020	-
		भूमि स्वामी	60/2	0.400	0.000	0.220	बेरी-9, खजूर-13, पलाश-4, बबूल-3, सागौन-2,
17	मनोजकुमार वल्द मुरलीधर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	36	0.660	0.000	0.040	सागौन-6, पलाश-1, गुरार-1, गुंजा-1, सेमर-1
18	गजराजसींग वल्द तुलसीराम रघुवीरसींग बल्द हरी पता सा. खिरिया	भूमि स्वामी	60/1	0.590	0.000	0.510	सागौन-4, पलाश-7,
19	शान्तिबाई जोजे मुरलीधर पता सा. देह भू-स्वामी व. न. 44	भूमि स्वामी	70	1.000	0.000	0.110	-

20	मुरलीधर वल्द घनश्याम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ब.स. नं. 49	भूमि स्वामी	71/146/1	0.180	0.000	0.010	-
21	रामसेवक वल्द काशीराम पता सा देह	भूमि स्वामी	72	0.530	0.000	0.450	खजूर-1, सागौन-34, पलाश-7, बबूल-1, सेमर-2, नीम-1
22	फूलसींग वल्द काशीराम पता सा देह	भूमि स्वामी	74/1	1.250	0.000	1.250	बेरी-1, सागौन-2, पलाश-2, सेमर-1, बबूल-1
23	परषोत्तम वल्द काशीराम	भूमि स्वामी	74/2	1.240	0.000	1.240	सागौन-11, पलाश-7, बरगद-1
24	दशरथ पिता जालम पता सा खिरिया भूमि स्वामी भागवती पुत्री जालम पता सा खिरिया भूमि स्वामी काशीबाई पुत्री जालम पता सा खिरिया भूमि स्वामी दमेतीबाई पुत्री जालम पता सा खिरिया भूमि स्वामी नर्मदाप्रसाद पिता खूबसींग पता सा खिरिया भूमि स्वामी कमलसींग पिता खूबसींग पता सा खिरिया भूमि स्वामी रामकुमारी बेवा खूबसींग पता सा खिरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75	1.040	0.000	1.040	बेरी-1, सागौन-73, पलाश-25, अर्जुन-2, रुसल्ला-3
25	उत्तम पिता सूरजसींग पता सा खिरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76/1	0.420	0.000	0.420	बेरी-2, सागौन-55, पलाश-17, रुसल्ला-1
26	मेहताबसींग वल्द सूरजसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76/2	0.810	0.000	0.810	करोदा-1, आचार-1, कैथा-1, नीबू-7, बेरी-10, संतरा-1, अमरुद-17, जामुन-1, कटहल-2, केलाभिरा-1, आम-8, सागौन-36, पलाश-13
27	तखतसींग वल्द रामचंद पता सा देह	भूमि स्वामी	78	1.680	0.000	1.680	बेरी-3, अमरुद-2, नीबू-1, यूकेलिपटीस-1,
		भूमि स्वामी	83	0.420	0.000	0.420	बेरी-4, सागौन-1
		भूमि स्वामी	84	0.450	0.000	0.450	-
28	नोनीतराम वल्द इमरत पता सा देह	भूमि स्वामी	79	1.490	0.000	1.180	-
29	सीताराम वल्द नंदराम यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	80/1	0.020	0.000	0.020	-

30	विमला पत्नि नौनीतराम पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	80/2	0.300	0.000	0.220	—
		भूमि स्वामी	81	0.300	0.000	0.120	—
		भूमि स्वामी	82/2	0.160	0.000	0.160	पलाश-4
31	राजाराम, बाबूलाल वल्द थानसींग सावित्री वाई, रामसखी पुत्री थानसींग पता सा खिरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	82/1	0.190	0.000	0.190	—
32	सुरेन्द्रसींग वल्द अमरसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	86	0.120	0.000	0.120	—
		भूमि स्वामी	89	0.090	0.000	0.090	बहेड़ा-1, सागौन-2, बबूल-1
33	अमरसींग वल्द हरीराम सा देह भूमि स्वामी ब.नं. 53/1	भूमि स्वामी	87	0.150	0.000	0.150	—
		भूमि स्वामी	88	0.100	0.000	0.100	—
		भूमि स्वामी	133	1.370	0.000	0.780	बेरी-2, खजूर-1, सागौन-5, पलाश-11, केम-1,कोहा-1
		भूमि स्वामी	125	0.790	0.000	0.130	खजूर-1, पलाश-1
		भूमि स्वामी	134	0.310	0.000	0.160	—
34	विजयसींग वल्द अमरसींग सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	90	1.210	0.000	1.210	सागौन-5, नीम-1
		भूमि स्वामी	91/4	0.600	0.000	0.600	सागौन-4, पलाश-2
35	बालचंद वल्द बिहारी पता सा शिकारपुर	भूमि स्वामी	91/2	1.400	0.000	0.280	—
36	राजाराम वल्द शिवप्रसाद सा देह	भूमि स्वामी	91/3	0.910	0.000	0.910	—
37	वतीबाई पुत्री मथुराप्रसाद सा देह	भूमि स्वामी	129	0.790	0.000	0.550	—
38	चंद्रारानी पत्नि बालकृष्ण पता सा देह	भूमि स्वामी	130	1.560	0.000	0.650	बहेड़ा-1, बेरी-1
39	नेमीचंद वल्द इमरत पता सा देह	भूमि स्वामी	131	1.500	0.000	0.400	बेरी-1, सागौन-2, पलाश-2, बबूल-1
40	बालचंद वल्द हरीराम पता सा देह	भूमि स्वामी	132	1.350	0.000	0.580	बेरी-14, सागौन-5, पलाश-2, केम-1, बबूल-1 बांसभरा 1
कुल योग:-			57	52.410	4.580	33.110	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 22/10/18 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 09अ-82-17-18-10516

मौजा पोपलखेड़ी, पट. ह. नं.-09, तहसील राहतगढ़

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

(1) परियोजना का नाम :- बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला सागर
2. तहसील राहतगढ़
3. ग्राम पोपलखेड़ी
4. पटवारी हल्का नं. 09
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 11.810 हेक्टे.

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकबा हेक्टे. में)		भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां
					सिंचित	असिंचित	
1	राजू बल्द तुलसीराम पता सा राहतगढ़	भूमि स्वामी	2	2.000	0.000	0.500	अमरुद 130 आम 44 कठहल 1 जामुन 2 इमली 1केलाभिरा 1 पलाश 2 नीम 1 सागोन 1 कोहा 5
2	तमीजुल हसन बल्द मुनब्बर पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4/2	1.490	0.000	0.080	आम 2 अमरुद 9 बबूल 2 पलाश 1
		भूमि स्वामी	4/5	0.400			

3	मुनब्वर वल्द नूर मोहम्मद पता सा राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4/3	1.490	0.000	0.020	आम 5 नीबू 6
4	अब्दुल लतीफ बल्द अहमद नूर पता सा वार्ड क. 12 राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4/4	0.460	0.000	0.020	-
			4/8	0.800	0.000	0.040	-
5	तारिक ताहिरा ना बा बल्द व वली तमीललुहसन पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4/6	1.600	0.000	0.020	-
6	सुरेन्द्र पिता तुलसी पता सा देह	भूमि स्वामी	4/12	0.350	0.000	0.030	आम 9 कटहल 1 जामुन 1 नीबू 2 अमरुद 5 करोदा 2
7	सादव सायर ना वा बल्द रहीश वली हबीब पतिन रहीश सा राहतगढ	भूमि स्वामी	6	0.280	0.00	0.060	बेरी 3 सागोन 1 गुरार 1
		भूमि स्वामी	9	0.520	0.000	0.040	बेरी 2 सूबबूल 1
8	लतीफ पिता रज्जाक सा देह	भूमि स्वामी	8	0.740	0.000	0.030	-
		भूमि स्वामी	13/6	0.100	0.000	0.010	-
9	याकूब वल्द अब्दुल पता सा राहतगढ	भूमि स्वामी	13/3	1.420	0.000	0.080	-
10	गुलमोहम्मद पिता अब्दुल पता सा राहतगढ	भूमि स्वामी	13/4	1.420	0.000	0.050	-
11	आविद पिता इब्राहिम सा देह	भूमि स्वामी	49/1	1.000	0.000	0.950	बेरी 2 पलाश 9 सागोन 9 महानीम 2
12	मुहम्मद जुवैर ना वा वल्द वली आविद हुसैन, मुहम्मद आमिर ना वा वल्द व वली शाविर हुसैन वल्द इब्राहिम हुसैन सा राहतगढ	भूमि स्वामी	49/2	1.500	0.000	1.390	बेरी 3 पलाश 21 सागोन 25 कसई 3 केम 1 ऊमर 1
13	शौकत बी जौजे इब्राहिम सा राहतगढ	भूमि स्वामी	49/3	2.330	0.000	2.330	आंवला 1 बेरी 12 जामुन 2 बहेड़ा 1 सागोन 120 कंजी 3 ऊमर 2 पलाश 28 गुरार 1 रुसल्ला 6 महानीम 2 बबूल 6 केम 2 कोहा 11

14	साविर पिता इब्राहिम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	49/4	1.000	0.000	0.460	जामुन 1 सागोन 33 पलाश 8 कोहा 1 बीजा 3 रूसल्ला 1
15	इदरीश पिता आविद सा राहतगढ	भूमि स्वामी	49/5	0.500	0.000	0.500	बेरी 7 सागोन 7 पलाश 14 सतकटा 1 कोहा 4 केम 2
16	मुहम्मद जुबेर पिता आविद सा राहतगढ	भूमि स्वामी	49/6	0.500	0.000	0.500	बेरी 2 पलाश 1 कोहा 1 सागोन 1
17	मुह.उजेर ना बा पिता पालक आविद सा राहतगढ	भूमि स्वामी	49/7	0.500	0.000	0.500	जामुन 1 बेरी 3 अमरुद 1 आम 1 पलाश 7 सागोन 11 केम 1 करियासेजा 1
18	मुहम्मद सिद्दीक वल्द शेख अब्दुल करीम पता सा राहतगढ	भूमि स्वामी	50	10.050	0.000	4.200	बेरी 1 कटहल 1 तेंदू 2 यूकिलिपटीस 1 नीम 1 कोहा 3 रूसल्ला 1 सागोन 12 कर 4 सतकटा 3 कसई 3 पलाश 10 गुंजा 9
कुल योग			23	30.450	0.000	11.810	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 10अ-82-17-18-10514

मौजा भामरा, पट. ह. नं.-09, तहसील राहतगढ़

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

(1) परियोजना का नाम :-

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला	सागर
2. तहसील	राहतगढ़
3. ग्राम	भामरा
4. पटवारी हल्का नं.	चंद्रापुर 09
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	58.390 हेक्टे.

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)		भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां
					सिंचित	असिंचित	
1	श्रीमति शुकुन्तला पति महेशकुमार तिवारी पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1/1	1.640	0.000	1.640	आवला 1 पीपल-2 सागोन-3
2	महेश कुमार बल्द राजाराम तिवारी पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1/2	1.900	0.000	1.900	सागोन-2
3	मौजीलाल गुलझारी गंगाराम नब्बू जसरथ रामसींग पिता परमा कुशमबाई पुत्री परमा पता सा भानगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2	1.350	1.350	0.000	सागोन-4 साज-1 छोवला-1 बेरी-7 केथा-2 अमरुद-6 नीबू-2 कुआ 1

4	शहजाद पिता कल्लूमियां पता सा राहतगढ भूमि स्वामी फहीम पिता कल्लूमियां पता सा राहतगढ भूमि स्वामी नसीम पिता कल्लूमियां पता सा राहतगढ भूमि स्वामी जलाल पिता कल्लूमियां पता सा राहतगढ भूमि स्वामी जमाल पिता कल्लूमियां पता सा राहतगढ भूमि स्वामी आजम पिता कल्लूमियां पता सा राहतगढ भूमि स्वामी आकिल पिता कल्लूमियां पता सा राहतगढ भूमि स्वामी गुडडी पुत्री कल्लूमियां पता सा राहतगढ भूमि स्वामी सकीला पुत्री कल्लूमियां पता सा राहतगढ भूमि स्वामी बडीबहन पुत्री कल्लूमियां पता सा राहतगढ भूमि स्वामी छोटीबहना पुत्री कल्लूमियां पता सा राहतगढ भूमि स्वामी फातमा पुत्री कल्लूमियां पता सा राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/1	0.970	0.000	0.970	बेरी-1
5	नसीमियां बल्द कल्लूमियां पता सा राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/2	0.400	0.000	0.400	सागोन-1
6	अब्दुल सलाम बल्द अब्दुल सहीद पता सा राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/3	0.240	0.000	0.240	बेरी-2
		भूमि स्वामी	5/2	1.040	0.000	1.040	बेरी-2
		भूमि स्वामी	6/2	0.180	0.000	0.180	-
7	रगवीर मुन्ना पिता रामसीग पता सा भुलना भानगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/4	0.800	0.000	0.800	-
8	घासीराम बल्द बल्देव पता सा भुलना भानगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4	0.940	0.940	0.000	बेरी-2 सतकठा-1 टयूबवेल 1
9	श्रीमति रईसाबी जोजे अब्दुल सहीद पता सा राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/1	1.150	0.000	1.150	बेरी-4
10	प्यारेलाल मंशाराम भगौनी प्रकाश बल्द जगन, शांतिबाई, भागवतीबाई पुत्री जगन पता सा भुलना भानगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/1	1.520	1.520	0.000	सागोन 3 कुआ 1
11	संजीवकुमार बल्द बद्रौ प्रसाद पता सा राहतगढ	भूमि स्वामी	7/1	1.610	0.000	1.610	-
		भूमि स्वामी	7/2	0.090	0.000	0.090	-
		भूमि स्वामी	9	0.080	0.000	0.080	-
		भूमि स्वामी	12	2.020	0.000	0.100	-
12	मजूलता पति संजीवकुमार पता सा राहतगढ	भूमि स्वामी	7/3	1.000	0.000	1.000	आम 3 बेल 6 अमरुद 3 नीबू 3 आवला 2 सूबबूल 6 नीम 1 साज 1
13	सलीम बल्द अब्दुल रसीद पता सा राहतगढ	भूमि स्वामी	10/1	0.810	0.000	0.660	-

14	बलीराम पिता पृथ्वीसींग जाति लोधी देवकाबाई पति बलीराम जाति लोधी जयन्ती पुत्री बलीराम जाति लोधी सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	10/2	0.540	0.540	0.000	बैरी 1 ट्यूबवेल 1
15	रफीक बल्द अब्दुल रजाक पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	10/3	1.120	1.120	0.000	छोवला-1 रुसल्ला-1 ट्यूबवेल 1
		भूमि स्वामी	15/9	0.400	0.400	0.000	-
16	शरीफ बल्द अब्दुल अजीम पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	10/4	0.700	0.000	0.620	सागोन-1
		भूमि स्वामी	10/5	0.080	0.000	0.080	-
17	जुलेशा बेगम पत्नि सगीर अहमद पता राहतगढ़	भूमि स्वामी	10/6	1.300	1.280	0.000	कुआ 1
18	प्रकाश चंद वल्द बाबूलाल पता सा राहतगढ़	भूमि स्वामी	11	0.160	0.000	0.140	-
		भूमि स्वामी	15/1	0.880	0.880	0.000	आवला 1 सेमर 1 कुआ-1
19	बृजेशकुमार पिता बृन्दावन चेला सुखरामदास पता सा भानगढ़	भूमि स्वामी	14	0.730	0.100	0.000	बैरी-4 पीपल-1 चिरोल-1 कंजी-1 कुआ 1
		भूमि स्वामी	25	0.810	0.000	0.810	बैरी-1 गुरार-1 नीम-2
		भूमि स्वामी	44	0.530	0.000	0.170	सागोन 1
20	मोहम्मद शब्बीर पिता मुहम्मद रज्जाक पता निवासी पता निवासी वार्ड क्र. 11 राहतगढ़	भूमि स्वामी	15/2	1.200	1.050	0.000	बैरी-2 ट्यूबवेल 1
		भूमि स्वामी	15/3	1.200	1.200	0.000	-
21	मुहम्मद आजाद वल्द अब्दुल हकीम पता निवासी राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15/4	0.500	0.500	0.000	कुआ 1
22	मुहम्मद शहजाद उर्फ सुजात वल्द मुस्सू पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15/5	1.400	1.350	0.000	बैरी-2 ट्यूब बैल-1
23	रईश मु. अब्बास वल्द वशीर कुरैशी पता सा राहतगढ़	भूमि स्वामी	15/6	1.200	0.000	1.200	-
24	गोमतीबाई पत्नि मथराप्रसाद पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	15/7	1.200	1.200	0.000	बैरी 4 कुआ . 1
25	शहजाद वल्द अब्दुल हकीम पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	15/8	0.500	0.000	0.500	-
26	अब्दुल कलाम वल्द महबूब हसन पता सा राहतगढ़	भूमि स्वामी	17	0.730	0.000	0.730	बैरी 1
		भूमि स्वामी	19	0.900	0.000	0.900	बैरी 2
		भूमि स्वामी	20	0.510	0.000	0.510	बैरी 1 रुसल्ला 1
27	सेफुल इस्लाम वल्द महबूब हसन पता सा राहतगढ़	भूमि स्वामी	18	1.770	0.000	1.770	खैर 1
		भूमि स्वामी	24/2	1.030	0.000	1.030	बैरी-3 खैर-1
28	मु. आरिफ वल्द कल्लू मिया पता सा राहतगढ़	भूमि स्वामी	22/1	1.160	0.000	1.160	बैरी-6
29	आजाद मिया पिता कल्लूमिया सा राहतगढ़	भूमि स्वामी	22/2	1.160	0.000	1.160	बैरी-6

30	अनीसमिया वल्द कल्लू मिया पता सा राहतगढ़	भूमि स्वामी	23/1	0.810	0.000	0.810	बैरी-5 छेवला 1
		भूमि स्वामी	23/2	0.480	0.000	0.480	बैरी-4
31	मुस्लिमा पति शब्बीर पता सा राहतगढ़	भूमि स्वामी	24/1	1.020	1.020	0.000	बैरी-5 नीम-2 सेमर-1 द्यूबबेल 1
32	हल्काई, तुलाराम, शोभाराम, रामसींग मुन्ना, बीरसींग पिता हरीराम पता भुलना भानगढ़ राहतगढ़	भूमि स्वामी	26/1	1.810	0.000	1.810	बैरी-2
33	अनीस पिता कल्लूमियां पता सा वार्ड क्र. 10 राहतगढ़ भूमि स्वामी आजाद पिता कल्लूमियां पता राहतगढ़ भूमि स्वामी आरिफ पिता कल्लूमियां पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी शाहजाद पिता कल्लूमियां पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी तारिक पिता कल्लूमियां पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी शाहिद पिता कल्लूमियां पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी अंजर पिता कल्लूमियां पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी तकसीमबी पुत्री कल्लूमियां पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी रियासतबी बेवा कल्लूमियां पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26/2	0.360	0.000	0.360	-
34	मुह. चारिक वल्द कल्लूमिया पता सा राहतगढ़	भूमि स्वामी	27/1	0.990	0.000	0.230	बैरी-2
		भूमि स्वामी	27/7	0.210	0.000	0.210	-
35	मोहम्मद शाहिद वल्द कल्लूमिया पता सा राहतगढ़	भूमि स्वामी	27/2	0.400	0.000	0.400	बैरी-2
		भूमि स्वामी	27/5	0.800	0.000	0.600	-
36	शहजादमिया वल्द कल्लूमिया पता सा राहतगढ़	भूमि स्वामी	27/3	1.200	0.000	0.200	बैरी-2 कसई-1
37	मोहम्मद अनजर वल्द कल्लू मिया पता सा राहतगढ़	भूमि स्वामी	27/4 एवं 27/6	1.260	1.260	0.000	बैरी-2 सागीन 1 कुआ 1
38	द्रोपतीबाई पत्नि गुपाल सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	35/3	1.000	0.000	0.250	-
39	सलीम हलीम सगीर अहमद जहीर पिता रशीद मुन्नीबाई फरीदा पिता रशीद मासूमवी बेवा रशीद पता सा राहतगढ़	भूमि स्वामी	41/1	0.810	0.000	0.050	-
40	नूरे हसन पुत्र अकबर पता सा राहतगढ़	भूमि स्वामी	41/2	1.010	0.000	0.080	-
		भूमि स्वामी	41/3	0.810	0.000	0.090	-
41	जहीरमिया वल्द वशीर कुरैशी पता सा राहतगढ़	भूमि स्वामी	42	1.620	0.190	0.000	द्यूबबेल 1
		भूमि स्वामी	43/1	0.380	0.380	0.000	-
42	शहजाद मु. ताहिर आरिफ सादिक आशिफ सद्दाम सलमान इरफान बिलाल जलाल पिता नूरेहसन सखावतबी गुडडीबी पुत्री नूरेहसन पता निवासी राहतगढ़	भूमि स्वामी	43/2	1.000	0.000	0.180	-
43	हसीन वल्द वसीर कुरैशी पता सा राहतगढ़	भूमि स्वामी	43/3	1.510	0.700	0.000	द्यूबबेल 1

		भूमि स्वामी	47/3	0.650	0.610	0.000	बैरी-7
44	अहलिया बी पत्नि आरिफ कुरैशी नशरत बीपति अन्सार कुरैशी पता सा राहतगढ	भूमि स्वामी	45	1.570	0.600	0.000	सागोन 2
		भूमि स्वामी	46	1.460	1.440	0.000	द्यूबबेल 1
45	बसीम वल्द वसीर कुरैशी पता सा राहतगढ	भूमि स्वामी	47/1	1.430	0.550	0.000	-
		भूमि स्वामी	48	0.590	0.590	0.000	छोवला-3 पीपल-1 सेमर-1 बबूल-1 बैरी-5 कुआ 1
46	श्रीमति अजीजबानो पत्नि मुह जलील पता सा राहतगढ	भूमि स्वामी	47/2	0.800	0.000	0.730	छोवला 1 बैरी-3
47	मुहम्मद जलील वल्द इमाम बक्स पता सा राहतगढ	भूमि स्वामी	49	1.600	1.600	0.000	कुआ 1
48	रूपसींग वल्द हीरालाल पता सा बरेखेडी गुरु	भूमि स्वामी	50	0.990	0.990	0.000	कुआ 1
		भूमि स्वामी	53	1.240	0.000	1.240	-
49	सुनीलकुमार, प्रवीणकुमार वल्द दुर्गाप्रसाद पता सा राहतगढ	भूमि स्वामी	51	1.410	0.000	1.410	-
50	श्यामलाल वल्द नथू पता सा भानगढ	भूमि स्वामी	52	1.610	0.000	1.610	-
51	रामचरण वल्द खुमान पता सा भानगढ	भूमि स्वामी	54	1.650	1.650	0.000	सागोन 2 कुआ 1
		कुल	75	71.930	25.010	33.380	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 22/10/18 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 12अ-82-17-18-10520

मौजा हसरई, पट. ह. नं.-28, तहसील राहतगढ़

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम :- बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध
- (2) भूमि का विवरण :-
1. जिला सागर
 2. तहसील राहतगढ़
 3. ग्राम हसरई
 4. पटवारी हल्का नं. 28
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 73.820 हेक्टे0

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकबा हेक्टे. में)		भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	
1	मुलायम खा बल्द अलाउद्दीन पता निवासी ग्राम राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/1	1.160	0.000	1.160	सागोन-4 पीपल-1
2	दरयावसिंह बल्द किसनसिंग पता सा सेमरा मेंडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/2	2.020	2.020	0.000	सागोन-1 पीपल-2 द्यूबबेल 1
		भूमि स्वामी	17/1	1.560	0.000	1.560	कोहा-1 सागोन 1
		भूमि स्वामी	47/7	0.800	0.000	0.800	-
		भूमि स्वामी	48/1	0.990	0.000	0.990	-
		भूमि स्वामी	51/2	0.800	0.000	0.800	-
		भूमि स्वामी	56	0.780	0.000	0.780	सागोन 1 रेजा 1 छेवला 2
		भूमि स्वामी	64	1.110	0.000	0.660	आवला-1
3	बलराम बल्द मनमोहन पता सा जामुनदाना भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/3	0.800	0.000	0.800	पीपल-1

4	मुस्तफा फातमा ना बा बहादुर खा पीरन बी इन्दु बी बेवा बहादुर खा पालक मा पता निवासी ग्राम राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/4	0.570	0.000	0.570	पीपल-1
		भूमि स्वामी	52/1	0.570	0.000	0.570	-
5	शोएल, उवेश ना बा वल्द नईम मिया पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3	0.650	0.650	0.000	-
		भूमि स्वामी	4	0.650	0.650	0.000	पीपल 1
		भूमि स्वामी	49	0.930	0.930	0.000	ट्यूब बैल.1
6	अब्दुल रहूफ मुलकीम बा मु. सादिक ना वा बल्द व वली फकीर मुहम्मद पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6	1.010	1.010	0.000	पीपल-1 ट्यूबबेल 1
7	मुन्ना पिता देवी पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी महेन्द्र पिता देवी पता सा देह भूमि स्वामी रामकली पुत्री देवी पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी सावित्री पुत्री देवी पता सा देह भूमि स्वामी हल्की पुत्री देवी पता सा देह भूमि स्वामी ताराबाई बेवा देवी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7	1.010	0.000	1.010	-
8	मोहनलाल बल्द तुलाराम पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	8	0.200	0.000	0.200	-
		भूमि स्वामी	10	0.620	0.000	0.620	बैरी-1
9	रामप्रसाद पिता कुंजीलाल तुलसाबाई बेवा कुंजीलाल पता सा जामुनढाना भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	11	0.970	0.000	0.970	-
10	अब्दुल रहूफ बल्द अब्दुल वहीद पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12	0.970	0.970	0.000	ट्यूब बैल.1
11	पारवती शनिया द्रोपदी तेजा पुत्री रम्पू पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13	0.880	0.000	0.880	बैरी-1 सागोन-2 पीपल-1
12	सुखलाल बल्द दुडे पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14	0.880	0.000	0.880	बैरी-2 सागोन-2 पीपल 1
13	हरीसिंग बल्द हल्के पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15	0.920	0.000	0.920	छेवला 3
14	शांतिबाई जोजे माखन पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	16	1.290	0.000	1.290	सागोन 2
15	रामलाल बल्द गया पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/2	1.210	0.000	1.210	सागोन 4 रुसल्ला 1
16	मुहम्मद युनुस बल्द अब्दुल वाकर पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/3	1.750	1.750	0.000	सागोन 13 खेर 1 छेवला 1 ट्यूबबेल 1
17	सिदी ब्राहूलाल भागीस्थ नन्दू पिता दमरू पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18	0.990	0.000	0.990	बैरी-2 सागोन 2
18	दमरू कल्लू पिता मंगल पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी कलू उर्फ कल्यान पिता मंगल पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी मनकुंवर बेवा मंगल पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19	0.900	0.000	0.900	बैरी 1
19	गीताबाई पुत्री नारान पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी पानबाई बेवा नारायण पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20	0.910	0.000	0.910	-
20	हरीसिंग गंगाधर देवीसिंग रतीराम पिता नंदराम बडी बहू बेवा दरयाव, वकील, प्रमोद, सीमा, रमा पिता दरयाव,	भूमि स्वामी	22	0.740	0.000	0.740	-
		भूमि स्वामी	51/1	0.540	0.000	0.540	-
21	फूलाबाई पुत्री सुदामा पता निवासी ग्राम सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25/1	1.430	0.000	1.430	रुसल्ला 1
22	नंदराम बल्द फदाली पता निवासी ग्राम सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25/2	0.870	0.000	0.870	-
		भूमि स्वामी	47/5	0.570	0.000	0.570	-
23	वीरसिंग अमोलसिंग पिता महताप सिंह पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	27	0.120	0.000	0.120	-
		भूमि स्वामी	32	1.200	1.200	0.000	ट्यूब बैल.1

24	खिलान सींग बल्द पंचे पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	29	0.080	0.000	0.080	-
		भूमि स्वामी	39	0.320	0.000	0.320	-
25	नारायण मुन्शी पिता भैयालाल सा सेमरा मेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	30	3.040	0.000	3.040	बैरी-1 जामुन-1 पीपल 1 छेवला 1
26	अब्दुल वहीद पिता अब्दुल शकूर पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	31	1.320	0.000	1.320	छेवला 1 खेर 2 सागोन 1
27	जमील मिया पिता शकूर मोहम्मद पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	34/1	0.960	0.000	0.960	छेवला 1
		भूमि स्वामी	34/2	0.410	0.000	0.410	सागोन 1
28	वीरसींग बल्द महाताबसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	35/1	0.500	0.000	0.500	बांसभरा 1
29	कमरुद्दीन बल्द रज्जाक पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	35/2	0.980	0.000	0.980	खजूर 2
30	अरुणकुमार पिता बाबूलाल गुप्ता पता कल्याणपुर माल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	35/3	0.400	0.000	0.400	आम-1 बांसभरा 3
31	सीताराम बल्द गोदन सींग सा. सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	36/1	0.630	0.000	0.630	-
32	सिद्दीक बल्द दम्मा मोहम्मद असार मुहम्मद इकबाल बल्द सिद्दीक पता वार्ड क्र. 12 राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	36/2	1.200	0.000	1.200	बैरी-2 छेवला 1
33	अजीज खां पिता नरसू खां पता सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	37	0.780	0.000	0.780	बैरी-1
34	सादिक, रासिद पिता शाविर मियां, फिरदोश पुत्री शाविर मियां पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	40	2.020	2.020	0.000	ट्यूबवेल 1
35	हरदास रामदास पिता मरदन देवका बाई पुत्री मरदन पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42	2.000	2.000	0.000	बैरी-3 अमरुद-1 ट्यूबवेल 1
36	रम्मा बल्द कलुआ पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/2	0.800	0.000	0.800	बैरी-2
37	प्रकाश, राजेश पिता भद्रा, अनीता, कविता, पुत्री भद्रा जुगताबाई वेवा भद्रा पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/3	0.800	0.000	0.800	-
38	परसराम बल्द दरयावसिंह पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45	2.000	2.000	0.000	कुआ पक्का 1 ट्यूबवेल 1 पम्प हाउस 1
		भूमि स्वामी	46/1	0.610	0.610	0.000	-
		भूमि स्वामी	46/2	1.400	1.400	0.000	-
		भूमि स्वामी	58	0.770	0.000	0.340	-
39	गोकल बल्द कुदुड पता निवासी ग्राम बरोदासागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	47/2	2.250	0.000	2.250	-
40	बाबूखां हल्के खां पिता लाले खां पता सा बरोदासागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	47/3	0.280	0.000	0.280	-
41	शेरखां पिता शहदत खां पता निवासी ग्राम सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	47/4	0.890	0.890	0.000	आम-1 ट्यूबवेल 1
42	काशीराम बल्द देवीप्रसाद ललिता बाई पति काशीराम पता निवासी ग्राम सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	47/6	1.430	0.000	1.430	-
43	आरिफ पिता नईमियां पता निवासी ग्राम राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50	0.870	0.000	0.870	-
44	गोपाल पिता कुंजीलाल पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	52/2	0.570	0.000	0.570	-

45	भीकम पिता कुंजीलाल पता निवासी करई बिदिशा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	52/3	0.570	0.000	0.570	-
46	राजू पिता हल्कू सा. सेमरामेडा भूपेन्द्र पिता हल्कू सा. सेमरामेडा मूलचंद पिता हल्कू सा सेमरामेडा विनीता पुत्री हल्कू सा सेमरामेडा प्रमिला पुत्री हल्कू सा सेमरामेडा कोमलबाई बेवा हल्कू सा. सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	53/3	1.330	0.000	1.330	सागोन 1
47	प्रताप वल्द रूपसींग बैजन्ती पति प्रताप सा सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	53/4	1.330	1.330	0.000	बैरी-1 कुआं 1
48	रामस्वरूप ना वा वल्द भूपत, सुनीता ना वा पुत्री भूपत श्रीबाई पति भूपत पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी रामस्वरूप वल्द भूपत पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी सुनीता पुत्री भूपत पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी श्रीबाई पति भूपत पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	53/5	1.330	0.000	1.330	-
49	हरप्रसाद वल्द हल्का पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76	2.000	0.000	1.900	बैरी-2 नीम 1
50	दशोदाबाई बेवा कलुवा किशन बल्द कलुआ तुलसाबाई पुत्री कलुवा पता सा देह भू स्वामी	भूमि स्वामी	77	2.010	0.000	1.500	बैरी-2 बांसभरा 1
51	आरती पुत्री प्यारेलाल, जानकी पति प्यारेलाल पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	78/1	1.000	0.000	0.860	-
52	लक्ष्मण पिता रख्खा, बैजन्ती, सपना पुत्री रख्खा, केशरबाई बेवा रख्खा पता सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	78/2	0.990	0.000	0.930	-
53	गुडडी पुत्री रेवाराम पति बलराम, मोतीबाई पुत्री रेवाराम सा. सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	81	0.830	0.000	0.830	-
54	सकीना पति मुहम्मद जलील पता सा राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	82/1	0.140	0.000	0.140	अमरूद 1
		भूमि स्वामी	82/2	0.700	0.000	0.700	-
55	गिरधारी उर्फ गोवर्धन पिता रामचरण पता सा सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85	0.600	0.000	0.600	-
56	माखन, धूमनसींग, गोवर्धन पिता रामचरण, पार्वती, नन्ही, पुत्री रामचरण, पार्वती पति भोगीराम, पूनाबाई पति गोपीलाल, जयराम, महताप, हरगोविन्द, हरिराम भूमि स्वामी तुलसीराम पिता आशाराम, मुलाबाई पुत्री आशाराम सा सेमरामेडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	86	2.000	0.000	2.000	-
कुल योग:-			75	75.510	19.430	54.390	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 02/10/18 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2018

क्रमांक 7103-अ-82-2017-18.—

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम बामलाबे के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम बामलाबे

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	दुलेसिंह पिता देवीसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	245/2/1/2	1.785	0.352
	योग	1	1.785	0.352
2	भंवरलाल पिता भाणा जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	246/2/1 251/1/1	1.000 0.670	1.000 0.670
	योग	2	1.670	1.670
3	धन्नालाल पिता भाणा जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	246/2/2 251/1/2	1.000 0.670	1.000 0.670
	योग	2	1.670	1.670
4	भवरिया पिता भाणा जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	246/3	4.070	0.800
	योग	1	4.070	0.800
5	रामचरण पिता हीरालाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	253 251/2 255/1/6/1 255/1/9/2	0.835 0.051 1.012 1.013	0.835 0.051 0.200 0.200
	योग	4	2.911	1.286
6	हीरालाल पिता भंवरजी बगैराह जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	255/1/5 255/1/3 255/1/4	1.012 1.012 1.012	1.012 0.265 0.150
	योग	3	3.036	1.427
7	हिन्दूसिंह पिता मेहताब जाति सौधिया नि.ग्राम माण्डाखेड़ा भू-स्वामी	245/2/2	2.500	1.200
	योग	1	2.500	1.200
8	मेहताबबाई पति भंवरलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	255/1/9/1	1.012	0.269
	योग	1	1.012	0.269

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
9	फूलसिंह पिता धन्ना जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	2/2/1 3/6/1 3/7/1	1.270 0.467 0.303	1.270 0.467 0.303
	योग	3	2.040	2.040
10	सोनीबाई पति नारायण जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	2/3/1	1.700	1.700
	योग	1	1.700	1.700
11	भावसिंह, हजारीलाल, फूलसिंह, धीरपसिंह, गोपीलाल, धन्ना, रूकमाबाई, सरुबाई पिता धन्ना जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	2/4	1.711	1.711
	योग	1	1.711	1.711
12	घीसालाल पिता रामचरण नि.ग्राम भू-स्वामी	2/1	1.416	1.416
	योग	1	1.416	1.416
13	भावसिंह पिता धन्ना जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	3/3/1 4/4/1/1/1 3/10/1 11/3/2	0.167 0.300 1.265 1.288	0.167 0.300 1.265 1.288
	योग	4	3.020	3.020
14	भावसिंह, हजारीलाल, फूलसिंह, धीरपसिंह, गोपीलाल पिता धन्ना, खेमीबाई बेवा धन्ना जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	3/4/1 3/5/1	0.406 0.580	0.406 0.580
	योग	2	0.986	0.986
15	नारायण पिता नाथू जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	9/5/1	2.287	0.500
	योग	1	2.287	0.500
16	अनारसिंह, राजू पिता मोहनप्रसाद, विनोद, सोनू ना.बा. पिता कालू मु. पारीबाई बेवा कालू स.प.माता स्वयं पारीबाई बेवा कालू हि.50 पैसे रोड़जी दीपा हि. 50 पैसे बगैराह	4/4/1/1/2 3/8/1	0.327 0.523	0.327 0.523
	योग	2	0.850	0.850
17	प्रेमा पिता रामसिंह जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी	4/6/1/1	0.406	0.406
	योग	1	0.406	0.406
18	भंवरलाल, चरोंजीबाई, कैलाशबाई, कमलाबाई पिता हीरालाल, रामकली बेवा हीरालाल पिता बृजा पता नि.ग्राम भू-स्वामी	5/2/1/1	1.974	1.974
	योग	1	1.974	1.974
19	हरिनारायण पिता विजयसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	3/2/1	2.298	2.298
	योग	1	2.298	2.298
20	गोपीलाल पिता धन्नालाल आदि	3/9/1	0.196	0.196
	योग	1	0.196	0.196

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
21	उषा पिता श्रवण	3/10/2	0.735	0.735
	योग	1	0.735	0.735
22	बद्रीलाल पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	13/1/1	4.959	0.050
	योग	1	4.959	0.050
23	जुगल, किशोर पिता कालूराम जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	11/3/1	0.379	0.379
	योग	1	0.379	0.379
	कुलयोग :-	37	43.611	26.935

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 24 सितम्बर 2018

क्रमांक 2558-भू-अर्जन-2018-19.—

म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 12. 11.2017 एवं म.प्र. राजपत्र भाग-1 दिनांक 14.11.2014 में प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में म. प्र. की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत प्रस्तावित नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित भूमि धारको की अनुसूची के कॉलम नंबर 3 व 4 अनुसार भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन मकोड़ियारुण्डी तालाब योजना अंतर्गत निर्माण हेतु आवश्यकता है।

क- ग्राम आम्बाकुड़ी एवं कोटड़ा
ख- तहसील सैलाना
ग- जिला रतलाम
घ- लगभग क्षेत्रफल 9.96 हेक्टर

ग्राम अम्बाकुड़ी तहसील सैलाना पटवारी हल्का नंबर 23

क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1.	गोतमा पिता दल्ला भील सा.देह भूमि स्वामी	154	0.680	0.000	0.680	
2.	संग्राम, दिनेश पिता शंभू कुवरी बेवा शंभू जाति भील भूमि स्वामी	155	0.180	0.000	0.180	
3.	मोहन पिता अमरा जाति भील सा.देह भूमि स्वामी	156	0.180	0.000	0.180	
4.	सुरन, बंदु, मनोज ना.बा. पिता भेरा ना.बा. सरपटस्त माता गंगाबाई बेवा भेरा व सकुड़ी पुत्री जगला जाति भील भूमि स्वामी	161	0.000	0.200	0.200	
5.	मानजी पिता कचरा जाति भील सा.देह भूमि स्वामी	163	0.000	0.630	0.630	
6.	मानसिंह पिता हामजी जाति भील सा.देह भूमि स्वामी (अहस्तांतरणीय)	164/3	0.400	0.000	0.400	

क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
7.	शंकर पिता हामजी जाति भील सा. देह भूमि स्वामी (अहस्तांतरणीय)	164/4	0.000	0.400	0.400	
8.	लालू पिता बारजी जाति भील पता मकोड़िया रुण्डी भूमि स्वामी (अहस्तांतरणीय)	159/2	0.000	1.000	1.000	
9.	सीता पिता भावजी जाति भील पता मकोड़ियरुण्डी भूमि स्वामी	159/3	0.000	1.000	1.000	
10.	पप्पू, शांतिलाल पिता रकमा, शांतिलाल ना.बा. सरपरस्त माता काली व काली बेवा रकमा व दुर्गा पिता रकमा जाति भील	157	0.000	0.170	0.170	
11.	जालू पिता देवला, व नाथी, बददी पिता देवला व राजुड़ी बेवा देवला, वालिया मांगू पिता धन्ना उकार, कोमलराम, सज्जन पिता जीवला, रामी बेवा जीवला जाति भील गोपाल, धूलजी, चम्पा, पार्वती, सोहन पिता नाथू, राजुड़ी बेवा नाथू व नाथी, बददी पिता देवला व राजुड़ी बेवा देवला, वालिया, मांगू पिता धन्ना, उकार, कोमलराम, सज्जन पिता जीवला रामी, बेवा जीवला जाति भील सा.देह भूमि स्वामी	158	0.000	1.150	1.150	
12.	गोतमा पिता दल्ला जाति भील सा.देह भूमि स्वामी	162	0.000	0.640	0.640	
13.	रमेश, प्रभू, लसुड़ी पिता माना व कोदरी बेवा माना व गंगाराम, लक्ष्मण, गीता पिता सरदार व दरिया बेवा सरदार जाति भील राणू सा.देह भूमि स्वामी	165	0.000	0.520	0.520	
14.	रमेश, प्रभू, लसुड़ी पिता माना व कोदरी बेवा माना जाति भील सा.देह भूमि स्वामी	160	0.000	0.360	0.360	
15.	जगदीश, कैलाश पिता हकरा व रुपली बेवा हकरा जाति भील सा.देह भूमि स्वामी (अहस्तांतरणीय)	170/2	0.000	0.400	0.400	
16.	समरथ, बडु, बालू ना.बा. पिता धन्ना सरपरस्त माता मीरा व मीरा बेवा धन्ना जाति भील सा.देह भूमि स्वामी (अहस्तांतरणीय)	170/3	0.000	0.400	0.400	
17.	गंगा पति नारायण जाति भील सा.देह भूमि स्वामी (अहस्तांतरणीय)	170/4	0.000	0.400	0.400	
18.	संग्राम, दिनेश पिता शंभू कुवरी बेवा शंभू पता कोटड़ा भूमि स्वामी	152	0.050	0.000	0.050	
	योग		1.490	7.270	8.760	

क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
ग्राम कोटड़ा तहसील सैलाना पटवारी हल्का नंबर 25						
1	नंदू पिता थावरा भील भूरिया सा.देह भूमि स्वामी	5	0.000	0.180	0.180	
2	खात्या पिता पूना निनामा भील सा.देह भूमि स्वामी	6	0.000	0.030	0.030	
3	शंकर, गोविन्द, अन्दु, मीरा, झुमली, वरजु, कमला पिता वेलजी, थावरी बेवा वेलजी व समरथ, बदी, भेरु, लक्ष्मी, ललिता पिता घन्ना व मीरा बेवा घन्ना भील सा.देह भूमि स्वामी सा.देह भूमि	7	0.080	0.000	0.080	
4	मांगीलाल पिता घन्ना भील राणा सा.देह भूमि स्वामी	15	0.260	0.000	0.260	
5	मान्या, कन्हैयालाल, गुड़िया, मीथुड़ी, गंगा, मीरा, मंजू पिता बाबरु, गुड़िया, मंजू ना.बार. सरपरस्त माता गुड़िया व मांगुड़ी बेवा बावरु राणा भील सा. सा.देह भूमि स्वामी	16	0.000	0.100	0.100	
6	कोदरिया उर्फ मोहन पिता अमरजी राणा भील सा. देह भूमि स्वामी	17	0.000	0.100	0.100	
7	मांगूबाई पति खातुराम भील सा.देह भूमि स्वामी	18	0.000	0.110	0.110	
8	पप्पू, शांतिलाल पिता रकमा, शांतिलाल ना.बा. सरपरस्त माता काली व काली बेवा रकमा व दुर्गा पिता रकमा जाति भील सा.देह भूमि स्वामी	19	0.000	0.100	0.100	
9	नाथू पिता मोती भील निनामा सा.देह भूमि स्वामी	20 21/1	0.000	0.080 0.040 0.120	0.120	
10	भाणजी पिता मोती निनामा भील सा.देह भूमि स्वामी	21/2	0.000	0.120	0.120	
	योग		0.340	0.860	1.200	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रुचिका चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र. /भू-अर्जन/2018-19

दमोह, दिनांक 29/09/2018

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा- 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

जिला	तहसील	ग्राम	निजी भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	शासकीय भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4		5	6
दमोह	पथरिया	सीतानगर	5.338	2.200	अनुविभागीय अधिकारी /भू-अर्जन अधिकारी राजस्व पथरिया जिला दमोह	सीतानगर सिंघाई परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु।
		बिजौरी	60.262	36.300		
		रानगिर	45.887	52.800		
		नरसिंहगढ़	26.375	84.700		
		कल्याणपुरा	0.000	38.500		
	बटियागढ़	सुम्मेर	139.753	12.100		
		बरखेरा नाहर	73.837	169.400		
		मड़िया बरौदा	13.412	8.800		
		चैनपुरा	156.500	110.000		
		योग	521.364	514.800		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी पथरिया जिला दमोह एवं परियोजना संचालक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. विजयकुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्र. 4812-भू-अर्जन-2017-18—प्र. क्र. 0001-अ-82-वर्ष 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने उनके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा धपेरा-कुम्हारी मार्ग में वैनागंगा नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण के पहुंच मार्ग के परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-40 के अंतर्गत भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	बालाघाट	कुम्हारी प.ह.न. 12/54.	निजी भूमि रकबा 1.373 हेक्टेयर भूमि.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण विभाग संभाग, सिवनी.	धपेरा-कुम्हारी मार्ग में वैनागंगा नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण के पहुंच मार्ग.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dmbalaghat@nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सिवनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. व्ही. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 12 सितम्बर 2018

प्र. क्र. 56-अ-82-वर्ष 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	विश्रामगंज	निजी भूमि रकबा 30.03 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 9.33 हे. कुल रकबा 39.36 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूज मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य छूटे हुये रकबे हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 12 सितम्बर 2018

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 62-अ-82-2017-18-4756.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	कुडेली	2.430	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	कुडेली जलाशय योजना की नहर निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 61-अ-82-2017-18-4757.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) शहडोल	(2) जैतपुर	(3) चकौडिया	(4) 18.761	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	कुडेली जलाशय योजना की बांध एवं नहर निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 59-अ-82-2017-18-4758.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) शहडोल	(2) जैतपुर	(3) करावन	(4) 9.809	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	शाहपुर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 27-अ-82-2017-18-4759.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) शहडोल	(2) जैतपुर	(3) रजबांध	(4) 58.417	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	रजबांध जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर,

जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 60-अ-82-2017-18-4760.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) शहडोल	(2) जैतपुर	(3) कुडेली	(4) 15.673	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	कुडेली जलाशय योजना की बांध एवं नहर निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुभा श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 22 सितम्बर 2018

क्र. 408-भू-अर्जन-2018-प्र. क्र. 4-अ-82-2006-07-भू-अर्जन-बाड़ी.—चूंकि, राज्य शासन को अवगत कराया है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना नहीं है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 की धारा 4 की उपधारा 1 के अनुसार एतद्वारा सर्वसंबंधित व्यक्तियों के द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में आवश्यकता नहीं है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 4 प्रकाशन दिनांक 27-07-2007 एवं अधिनियम की धारा 6 प्रकाशन की दिनांक 25-01-2008 एवं इसके पश्चात पारित अधिनिर्णय 11-02-2009 को निरस्त किये जाने की आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) रायसेन	(2) बाड़ी	(3) बड़ोदिया खुर्द	(4) ख न. 1 रकबा 3.09 एकड़ अर्जित रकबा 3.09 एकड़ ख. न. 2/1 रकबा 1 एकड़ अर्जित रकबा 1 एकड़ ख. न. 2/2 रकबा 8.57 एकड़ अर्जित रकबा 5.91 एकड़ कुल अर्जित रकबा 10 एकड़.	सचिव कृषि उपज मंडी समिति, बरेली.	कालम 4 में वर्णित भूमि उपमंडी बाड़ी हेतु अर्जित की गई थी किन्तु आवश्यकता नहीं होने के कारण अधिनिर्णय निरस्त किया जाना है.

अर्जित की गई भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बरेली, जिला रायसेन में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 11 सितम्बर 2018

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-2017-18-4476 .—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—पाली
(ग) ग्राम—भिममाडोंगरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—1.170 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
498	0.420
483/1	0.078
420	0.600
योग . .	1.098

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
बसाड़ व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

उमरिया, दिनांक 1 अक्टूबर 2018

क्र. 4815-ए-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा,

सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—बांधवगढ़
(ग) ग्राम—देवदण्डी, पटवारी हल्का क्र. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.378 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
197/1	0.305
199/1	0.151
200/1	0.182
197/2	0.305
199/2	0.151
200/2	0.182
197/3	0.304
198	0.036
199/3	0.151
200/3	0.183
201	0.235
202	0.235
203	0.020
204	0.020
205/2	0.050
220/2	0.239
205/1	0.200
220/1	0.239
154/3	1.214
206	0.323
211/1क	0.072
217	1.038
211/1ख	0.313
211/2	0.500
211/3	0.500
214/1	0.200
214/2	0.200
216	0.400

(1)	(2)	खसरा नम्बर	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
218/1	0.536	11/165/5	0.050
181	0.700	2/1/क/1	0.101
218/2	0.263	113/7	0.202
218/3	0.263	113/3क	0.270
218/4क	0.068	113/3ख	0.269
218/4ख	0.053	113/3ग	0.270
222/1	0.136	113/2	0.607
223/1	0.273	113/5	0.405
224/2	0.154	113/11	1.110
222/2	0.136	112/1	0.050
223/2	0.274	113/6	0.506
225	0.332	113/15	0.202
180	0.220	113/4	0.405
176/1क	0.204	7/3क	0.102
176/1ख	0.205	127/2	0.202
176/2	0.201	126/1	0.100
177/1	0.010	6/8	0.101
177/2	0.200	4	0.202
241	0.202	144/3	0.100
योग . .	<u>12.378</u>	136/4क	0.102
		112/2	0.050
		112/3	0.050
		112/4	0.050
		113/12/ख	0.050
		113/12/ड	0.050
		144/2	0.100
		11/166/1	0.045
		11/4	0.100
		2/1/क/2	0.101
		योग . .	<u>5.952</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
धनवाही व्यपवर्तन सिंचाई योजना, तहसील बांधवगढ़
के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

क्र. 4815-बी-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- जिला—उमरिया
- तहसील—बांधवगढ़
- ग्राम—धनवाही, पटवारी हल्का क्र. 36
- लगभग क्षेत्रफल—5.952 हेक्टेयर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
धनवाही व्यपवर्तन सिंचाई योजना, तहसील बांधवगढ़
के बांध निर्माण हेतु.

क्र. 4815-सी-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.

राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—बांधवगढ़
(ग) ग्राम—नरवार, पटवारी हल्का क्र. 35
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.493 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
639/3क	0.200
639/2	0.809
639/4/क	0.405
639/3/ख	0.267
639/3ग	0.303
732/1	0.800
732/3	0.041
639/6	0.809
639/8	0.607
639/7	0.405
639/4ख	0.405
731	0.080
654/2क	0.077
636/4क	0.040
638	0.080
639/5	0.610
631/2	0.405
636/4घ	0.150

योग . . 6.493

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
धनवाही व्यपवर्तन सिंचाई योजना, तहसील बांधवगढ़ के बांध निर्माण हेतु.

क्र. 4815-डी-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे की

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—बांधवगढ़
(ग) ग्राम—महुरी, पटवारी हल्का क्र. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.072 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
252/3	0.030
351/2/ख	0.016
292/3/ख	0.010
351/2/क	0.016
योग . .	0.072

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
धनवाही व्यपवर्तन सिंचाई योजना, तहसील बांधवगढ़ के बांध निर्माण हेतु.

क्र. 4815-ई-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—नौरोजाबाद
(ग) ग्राम—बडागांव, पटवारी हल्का क्र. 03, बडागांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.120 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
284/2	0.120
योग . .	0.120

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
धनवाही व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु.

क्र. 4815-एफ-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—नौरोजाबाद
(ग) ग्राम—झीकाताल, पटवारी हल्का क्र. 12, मसूरपानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.120 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
25/2क	0.120
योग . .	<u>0.120</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
धनवाही व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु.

क्र. 4815-जी-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—नौरोजाबाद

- (ग) ग्राम—मोहगवां, पटवारी हल्का क्र. 12, मसूरपानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.114 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/7क	0.057
3/7ख	0.057
योग . .	<u>0.114</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
धनवाही व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु.

क्र. 4815-एच-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—नौरोजाबाद
(ग) ग्राम—देवरी, पटवारी हल्का क्र. 13, देवरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.038 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
322/1	0.038
योग . .	<u>0.038</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
धनवाही व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माल सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 11 सितम्बर 2018

प्र. क्र. 1301-रीडर-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु भूमि की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—टवलाईखुर्द
(घ) क्षेत्रफल—0.350 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
19/1	0.150
19/2	0.200
योग . .	<u>0.350</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—ओंकारेश्वर परियोजना नहर चरण-3 की वितरण शाखा डी.व्हाय-9 की माईनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे का अवलोकन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर, एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
- (4) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में संबंधित व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

प्र. क्र. 1303-रीडर-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु भूमि की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धरमपुरी
(ग) ग्राम—पटलावद
(घ) क्षेत्रफल—0.025 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
154/1/3	0.025
योग . .	<u>0.025</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—ओंकारेश्वर परियोजना नहर चरण-3 की वितरण शाखा डी. एम.-40 की माईनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे का अवलोकन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर, एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
- (4) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में संबंधित व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

प्र. क्र. 1305-रीडर-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु भूमि की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—मिर्जापुर
(घ) क्षेत्रफल—0.510 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
210/2/2/1	0.490
211/1/1	0.020
योग . .	<u>0.510</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—औंकारेश्वर परियोजना नहर चरण-3 की वितरण शाखा डी.व्हाय-12 की आर. डी. 7563 मी. से 9600 मी. के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे का अवलोकन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर, एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
- (4) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में संबंधित व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

प्र. क्र. 1307-रीडर-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु भूमि की आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—उरदना
(घ) क्षेत्रफल—0.045 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
13/2/2	0.045
योग . .	<u>0.045</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—औंकारेश्वर परियोजना नहर चरण-3 की वितरण शाखा की माईनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे का अवलोकन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर, एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

- (4) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में संबंधित व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

धार, दिनांक 17 सितम्बर 2018

प्र. क्र. 12708-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—केसूर
(घ) क्षेत्रफल—2.378 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
340/1 पैकी	0.547
341/1 पैकी	0.461
342/1 पैकी	0.072
356/1	0.224
379	0.024
380/2	0.158
381	0.082
690	0.272
404	0.120
405	0.120
406	0.123
407	0.068
403	0.039
402	0.068
योग . .	<u>2.378</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—केसूर-सादलपुर मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 सितम्बर 2018

क्र. 8476-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—पाण्डुर्णा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-पेण्डोनी, प.ह.नं.-43, ब. नं.-243, रा.नि.मं.-पाण्डुर्णा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल रकबा 02.937 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
267/1	0.230
265	0.045
249	0.084
168/2	0.040
151/2	0.088
241	0.064
246/2	0.048
195	0.083
246/4	0.060
196/2	0.016
196/1	0.070
199/1	0.007
198	0.026
202	0.030
213	0.028

(1)	(2)
209	0.012
210	0.016
214	0.018
82/3,4	0.092
83/2	0.086
76/2	0.068
74/3	0.052
74/1	0.052
73	0.088
87/1	0.110
88/1	0.024
88/3	0.018
88/2	0.092
88/4	0.102
94/2	0.055
90/4	0.040
90/5	0.065
90/3	0.060
124/2	0.030
90/1	0.020
124/1	0.042
158/3	0.090
157	0.018
164/6	0.162
164/1	0.144
529	0.218
82/11	0.020
82/10	0.048
82/9	0.040
82/8	0.052
246/3	0.084
योग . . .	02.937 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेण्डोनी जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—07.301 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.	प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.		129/3 128/1 128/2	0.252 0.014 0.158
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पाण्डुना, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		124/5, 125/2, 126/3 117 123/1 115/5, 116/6, 118/6, 119/6 123/5, 125/1, 126/1	0.095 0.095 0.070 0.080 0.009
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		115/1, 116/1, 118/2, 119/2 115/3, 116/4, 118/4, 119/4 111/1, 111/2 111/4	0.180 0.080 0.104 0.050
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पाण्डुना, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		107/1, 108/1, 109/1, 110/2, 195/1 196, 197, 198 105/11 105/15 105/5, 105/19 105/3 105/14 202 203 201 205/1, 205/2 206/1, 206/2 221/2 186/1 190/1 189/1, 189/2 168, 169 175 167 176/2 176/3	0.288 0.144 0.070 0.094 0.070 0.075 0.146 0.133 0.090 0.014 0.074 0.135 0.345 0.175 0.218 0.331 0.100 0.110 0.062 0.175
छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 अक्टूबर 2018			
क्र. 9084-भू-अर्जन-2018.—चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—			
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—छिन्दवाड़ा			
(ख) तहसील—चांद			
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-गोहरगांव, प.ह.नं.-31, ब. नं.-68, रा.नि.मं.-चांद.			

(1)	(2)
180, 181	0.300
182/1	0.242
268/2, 286/3, 288/2	0.324
322/2, 329/3, 330, 336/1	0.220
331/5, 334/3-4, 335/3	0.115
331/1, 334/1-2, 335/1	0.136
335/2, 336/3	0.452
336/5, 337/2	0.090
336/7, 337/4	0.126
336/9	0.062
336/9, 337/3	0.126
291/3, 292/6, 293/8	0.064
291/5, 292/8, 293/12	0.128
293/5	0.020
294	0.071
295/1	0.134
296/1-3	0.035
296/10/1, 296/11/1,	0.210
296/12/1, 296/13/1	
296/14-15-16-17	0.080
296/6-7-8-9	0.100
299/2	0.010
306/2	0.024
307/2, 306/4, 306/3	0.124
305/1-2-3-4	0.072

योग . . 07.301 हेक्टर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर एवं 17 एल, 18 एल माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग, क्रमांक-01, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 9083-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चांद
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-गुमगांव, प.ह.नं.-31, ब. नं.-64, रा.नि.मं.-चाँद.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—02.948 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(1) प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	(2) प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
365/1-2, 366/1	0.224
365/5/1-6/1, 366/5/1	0.086
365/5/2/6/2, 366/5/2	0.043
366/11, 366/6	0.044
365/10	0.090
365/8	0.086
365/7	0.120
364/1	0.085
310, 350/2, 351/1, 352, 353/1	0.576
348	0.130
347	0.020
242/4	0.128
243	0.132
240	0.030
241/1	0.120
241/2/1	0.040
233/2, 234/2	0.056
233/1, 234/1	0.108
236, 238, 239/3	0.084
237/4	0.040
237/5	0.020
237/2	0.180
420/3	0.110
421/2	0.064
422/1	0.064
422/2	0.064
422/3	0.050
422/7	0.040
422/5	0.032
422/4	0.032
423/1, 424/1, 425/1, 426/1	0.050

योग . . . 02.948 हेक्टर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग, क्रमांक-01, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 9082-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चांद
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-मोघर, प.ह.नं.-31, ब. नं.-236, रा.नि.मं.-चाँद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.932 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
40/1ख	0.122
40/1झ, 40/1ञ	0.050
40/1ट, 40/1ठ,	0.055
40/1ण/40/1ढ	0.062
40/1छ	0.064
40/1क, 40/1ग	0.052
40/1च, 40/1ङ	0.055
40/2क, 41	0.080
33/1, 34/1	0.180
33/2, 34/4-5	0.032
26/1, 31/3	0.180

योग . . . 0.932 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियाँ.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर की 18 एल. माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग, क्रमांक-01, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 9081-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चाँद
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—ढीमरमेटा, प.ह.नं.-30, ब. नं.-114, रा.नि.मं.-चाँद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—03.274 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
409	0.250
413/2, 414/3-4, 415/2, 424/2	0.268
425/2	0.094
423/2-4	0.035
422	0.215
423/1	0.010
418, 419	0.230
367/2-3-4	0.180
371	0.187
353/3-4	0.036

(1)	(2)	
352/3	0.074	(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर एवं 15 एल माइनर के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन के संबंध में.
357/3	0.086	
352/2	0.038	
352/4	0.298	
353/5-6	0.020	
352/5	0.085	(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
352/7	0.055	
352/1	0.008	
355/1	0.045	
354/1	0.040	
354/2, 355/2, 356/1	0.052	(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
356/2	0.090	
325, 326/1	0.064	
326/2	0.042	
326/3ख	0.035	
330/14ख-22ख		(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
326/3क	0.035	
330/14-22		
304	0.013	
303/2	0.064	
297/2, 298/1, 300/1, 328/1,	0.145	(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग, क्रमांक-01, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
329/1, 330/9, 330/13-16		
185/1, 186/1	0.135	
185/2, 186/2	0.017	
174/1ग-2ग	0.016	
176/1, 176/2	0.064	
175	0.090	
174/1ख-2ख	0.040	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वेद प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
174/1घ-2घ	0.060	
177/1	0.020	
177/2	0.038	
योग . .	03.274 हेक्टेयर एवं	
	प्रस्तावित	
	क्षेत्रफल पर	
	आने वाली	
	संपत्तियां.	

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2018

क्र. C-4168-दो-2-35-2017.—श्री पी. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शिवपुरी को दिनांक 7 जून से 15 जून 2018 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 16 से 17 जून 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-21-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. C-4178-दो-2-27-2017.—डॉ. ओमप्रकाश तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 21 से 25 मई 2018 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. B-4520-दो-2-39-2013.—श्री मृत्युंजय सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 30 मई से 9 जून 2018 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2018

क्र. A-3220-दो-2-41-2013.—श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 23 से 27 अगस्त 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-5851-दो-02-41-2017.—श्री आर. बी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 27 अगस्त से 1 सितम्बर 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-5855-दो-2-14-2014.—श्री अमरनाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 16 अगस्त 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 से 19 अगस्त 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अमरनाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमरनाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-5857-दो-2-57-2015.—श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 11 से 23 अगस्त 2018 तक तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 24 से 25 अगस्त 2018 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2018

क्र. A-3307-दो-2-70-2017.—श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 3 से 4 अगस्त 2018 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र चौरसिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-3309-दो-2-41-2017.—श्री आर. बी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 27 अगस्त से 1 सितम्बर 2018 तक, छह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 20 से 26 अगस्त 2018 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-3311-दो-2-108-2017.—श्रीमती उषा गेडाम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को दिनांक 7 जुलाई से 1 सितम्बर 2018 तक सत्तावन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 एवं 3 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती उषा गेडाम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती उषा गेडाम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-3313-दो-2-65-2018.—श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीधी को दिनांक 20 से 31 अगस्त 2018 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्र. B-4584-दो-2-62-2014.—श्री लीलाधर बौरासी, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), इंदौर को दिनांक 23 जुलाई से 16 अगस्त 2018 तक पच्चीस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 जुलाई 2018 के एवं पश्चात् में दिनांक 17, 18 एवं 19 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री लीलाधर बौरासी, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लीलाधर बौरासी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.